पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2015 ई0 (चैत्र 14, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्याः F-9(8)/RG/UERC/2014/1728: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 92 की उप–धारा 1 के साथ पठित धारा 181 की उप–धारा 2(a), (b), (c), (e), (f), (zj), (zl), (zm), (zn) & (zp) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विद्युत, सुधार अधिनियम) अनुकूलन और उपांतरण आदेश, 2001 द्वारा इस को प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:

अध्याय I – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा निर्वचन

(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

(3) इस विनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(4) उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 इस विनियम की निर्वचन (व्याख्या) पर लागू होगा।

2. परिभाषाएं

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमो में :—

(a) 'आवेदक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने लाइसेन्स की प्राप्ति हेतु आयोग के पास आवेदन किया है;

(b) यथास्थिति, एक आवेदक या अनुज्ञापी के संबंध में 'सहयोगी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है—

(i) जिसके पास यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी के मताधिकार के न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत शेयर्स का स्वामित्व या नियंत्रण हो; या

(ii) जिसके संबंध में यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी के पास मताधिकार के न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत शेयर्स का स्वामित्व या नियंत्रण हो;

(iii) जो उसी प्रबंधन के अधीन है जिसके अधीन यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी है।

स्पष्टीकरण : इस उप–खण्ड के प्रयोजन हेतु यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी, और संबंधित व्यक्ति उसी प्रबंधन के अधीन माने जायेंगे यदि:—

- यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधन, ऐसे व्यक्ति का प्रबंध निदेशक या प्रबंधन हो; या
- यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी के निदेशकों का बहुमत गठित करता हो या पिछले छः माह में किसी समय ऐसे व्यक्ति के निदेशकों का बहुमत गठित किया हो; या
- यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी से संबंधित किसी मामले के संबंध में कुल मतदान शक्ति का न्यूनतम एक तिहाई, तथा ऐसे व्यक्ति पर उसी व्यक्ति या निगमित निकाय का प्रयोग या नियंत्रण हो; या
- यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी के शेयर्स की अधिसंख्या धारण करते हुए, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञापी का कोई निदेशक, ऐसे व्यक्ति के शेयर्स की अधिसंख्या भी धारण करता हो,

(c) 'केन्द्रीय अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(d) 'अध्यक्ष' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(e) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(f) 'वर्तमान अनुपात' से वर्तमान आस्तियां व वर्तमान दायित्वों के मध्य अनुपात अभिप्रेत हैं, जहां —

(i) वर्तमान आस्तियों में नकदी या धन के समतुल्य नकदी, एकाउंट्स रिसीवेबल्स, वस्तु तालिका, विपणन योग्य प्रतिभूतियां और पूर्व भुगतान किये गये व्यय, तथा

(ii) वर्तमान दायित्वों में विविध लेनदार, रसीदें तथा एक वर्ष के भीतर निष्पादित किये जाने वाले अन्य दायित्व सम्मिलित है;

(g) 'आर्थिक अपराध' से आर्थिक अपराध (परिसीमा की अप्रयोज्यता) अधिनियम, 1974; की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी कानून के अधीन अपराध अभिप्रेत हैं।

(h) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु 'अपरिहार्य घटना' से नीचे लिखी घटनाएं या परिस्थितियां और/या घटनाओं व परिस्थितियों का संयोजन अभिप्रेत होगा।

a. दैवीय आपदा जिसमें आकाशीय बिजली, सूखा, आग, और धमाका, भूकम्प, ज्वालामुखी, भू–स्खलन, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, तूफान, भूगर्भीय घटनाएं सम्मिलित हैं, या ऐसी अत्यंत प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों में सांख्यिकिय रूप से अधिक हो; या

b. युद्ध, आक्रमण, सैनिक संघर्ष या सार्वजनिक दुश्मनी की कार्यवाही, नाकेबंदी, प्रतिरोध, क्रांति, दंगा, सशस्त्र विद्रोह, आतंकी या सैनिक कार्यवाही, या

c. अग्नि, धमाके, रेडियो सक्रिय दूषण, और विषैले खतरनाक रासायनिक दूषण;

(i) 'कपट' का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अधीन इस के लिये नियत किया गया है;

(j) 'राज्यान्तर्गत व्यापार' से उत्तराखण्ड राज्य के भीतर पुनः विक्रय हेतु विक्रय का क्रय अभिप्रेत है;

(k) 'तरलता अनुपात' से तरल आस्तियों और वर्तमान दायित्वों के मध्य का अनुपात अभिप्रेत है, जहां

(i) तरल आस्तियों में वर्तमान आस्तियां ऋण वस्तु सूची सम्मिलित है, तथा

(ii) वर्तमान दायित्वों में विविध लेनदार, रसीदें तथा एक वर्ष के भीतर निष्पादित किये जाने वाले अन्य दायित्व सम्मिलित हैं;

(l) 'सदस्य' से आयोग के सदस्य अभिप्रेत है तथा इसमें अध्यक्ष सम्मिलित होगा।

(m) 'निवल संपत्ति' से समादत्त इक्विटी पूंजी का संकलित मूल्य तथा संचित हानिया, बट्टे, खाते न डाले गये आस्थगित व्यय (विविध व्ययों सहित) तथा सहयोगियों को ऋणों और अग्रिमों को संकलित मूल्य द्वारा कम की गई खुली आरक्षतियां (पुनर्मूल्यांकन में से संरचित आरक्षतियों को छोड़ कर) अभिप्रेत हैं।

(n) 'अधिकारी' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का अधिकारी अभिप्रेत हैं,

(o) 'याचिका' से विनियम 10 के अनुसार दायर किये गये सभी आवेदन, शिकायतें, अपील, प्रतिउत्तर, अनुपूरक अभिवचन अभिप्रेत हैं व इसमें सम्मिलित हैं,

(p) 'कार्यवाही' से सभी प्रकृति की वे कार्रवाईयां अभिप्रेत हैं व इसमें सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में, संचालित करने के लिये आयोग निश्चित करे,

(q) एक कंपनी के संदर्भ में 'प्रमोटर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने प्रमोशन किया हो और जो सक्रिय रूप से प्रबंधन के साथ संलग्न हो या उस कंपनी में शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत का धारक हो;

(r) 'अधिग्राही अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा विनियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों और ऐसे अन्य कृत्यों जो समय समय पर आयोग द्वारा उसे सौंपे जायें, के निष्पादन हेतु पदाभिहित किया गया हो,

(s) 'विनियम' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 अभिप्रेत है;

(t) 'सचिव' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का सचिव अभिप्रेत है;

(u) 'राज्य अधिनियम' से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001, अभिप्रेत है;

(v) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(w) 'वर्ष' से कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से आरम्भ अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में आये शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय अधिनियम में उनके लिये नियत किया गया हैं। इन विनियमों में उपयोग किये शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें न तो इन विनियमों में परिभाषित किया गया है और न ही केन्द्रीय अधिनियम में, लेकिन राज्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो राज्य अधिनियम में उनके लिये नियत किया गया है।

(3) मूल विनियम अंग्रेजी मे होगा तथा इसका हिन्दी में अनुवाद किया जायेगा;

3. आयोग का कार्यालय, कार्यालय समय, बैठकें तथा प्रशासनिक कार्य

(1) आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा इस निमित्त समय समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) जब तक अन्यथा निदेशित न किया जाए तब तक आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय शनिवार, रविवार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार की छुट्टी के अतिरिक्त प्रतिदिन खुले रहेंगे। आयोग का मुख्यालय अथवा अन्य कार्यालय ऐसे समयों पर भी खुले रहेंगे जैसा आयोग द्वारा इस निमित्त समय समय पर निर्देश दिये जाऐं।

(3) जहाँ कोई अन्तिम कार्य दिवस ऐसे दिन पड़ता है, जिस दिन आयोग का कार्यालय बन्द रहता है तथा इस कारण से उस दिन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो वहाँ वह कार्य अगले कार्य दिवस को किया जाएगा जिस दिन कार्यालय खुलता है।

(4) आयोग मामलों की सुनवाई के लिये बैठकें मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, दिन और समय पर आयोजित कर सकेगा, जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) सभी प्रशासनिक मामले अध्यक्ष या सचिव या ऐसे अधिकारी जिसे यह शक्तियां तथा कार्य हेतु अधिकृत किया गया हो, के द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

4. आयोग की भाषा

(1) आयोग की कार्यवाहियाँ हिन्दी या अंग्रेजी में संचालित की जाएँगी ।

(2) हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी भी भाषा में कोई याचिका, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री आयोग द्वारा तभी स्वीकार की जाएगी जब इनका अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न किया गया हो।

(3) कोई भी अनुवाद को जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा सहमति दी जाती है अथवा कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जिसने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, अधिप्रमाणिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आयोग द्वारा उसे सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

5. आयोग की मुहर

आयोग की एक पृथक मुहर होगी। दिये गये प्रत्येक आदेश, निर्णय या संप्रेषण, जारी किये गये नोटिस या आयोग द्वारा प्रदान प्रमाणित प्रति पर आयोग की मुहर लगाई जायेगी तथा सचिव या इस हेतु पदाभिहित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

6. आयोग का सचिव/अधिकारी

(1) सचिव द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे किंतु वे इन तक सीमित नहीं होंगे:

(a) वह आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा की अभिरक्षा करेगा।

(b) वह आयोग को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में इसके समक्ष के प्रत्येक मामले में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार करेगा अथवा करवाएगा।

(c) वह आयोग द्वारा प्रयोज्य शक्तियों से सम्बन्धित कार्यवाही में आयोग का सहयोग करेगा।

(d) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करेगा।

(e) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और;

(f) वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या उसके अभिकरण या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा यथा निर्देशित ऐसी जानकारी जिसे केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकारी होगा।

(2) आयोग, अपने अधिकारियों को ऐसे कृत्य, जिसके अन्तर्गत इन विनियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य भी हैं, ऐसे निबंधन और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) सचिव, आयोग के अनुमोदन से इस विनियम अथवा अन्यथा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किया जाये, सचिव के सभी कृत्यों का प्रयोग करेगा।

(5) आयोग किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार से प्राप्त आवेदन पर अथवा स्वःप्रेरणा से यदि आयोग ऐसा किया जाना उपयुक्त समझता है, सचिव द्वारा अथवा आयोग के अधिकारियों द्वारा किए गये किसी आदेश अथवा की गई कार्यवाही का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपान्तरण, संशोधन परिवर्तन अथवा अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा।

अध्याय II – आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य नियम

7. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां

(1) आयोग समय समय पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में समुचित समझें। आयोग किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह कार्यवाही में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिये उचित समझें, नियुक्त कर सकता है।

(2) सभी मामलों को जिसमें आयोग से केन्द्रीय अधिनियम व राज्य अधिनियम के अधीन प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के माध्यम से निष्पादित करने की अपेक्षा की जाये और ऐसे अन्य मामलों को जिन्हें आयोग उचित समझे, ऐसी कार्यवाही के माध्यम से अधिनियम और इस विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से किया जायेगा।

(3) आयोग इसके लिये उन्मुक्त होगा कि वह ऐसे निबंधनों और शर्तों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, तथा जिसमें भागीदारी की प्रकृति और उसकी सीमा का संबंध सम्मिलित है, पर आयोग के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के लिये किसी व्यक्ति, संगठन या अन्य निगमित निकाय को अनुमति दे सकता हैं।

8. आयोग के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि

(1) कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व हेतु तथा आयोग के समक्ष उसकी ओर से कार्रवाई करने और पैरवी करने के लिये अधिवक्ता को प्राधिकृत कर सकता हैं। कोई व्यक्ति स्वयं प्रस्तुत हो सकता है या आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने और अपनी ओर से कार्रवाई करने या पैरवी करने के लिये अपने किसी कर्मचारी को प्राधिकृत कर सकता है जो मुख्य अभियंता/महा प्रबंधक से नीचे के पद का न हो। अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा और यदि याचिका किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जा रही है तो अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज, यदि मामले मे रिकॉर्ड पर पहले से दायर न किया गया हो तो याचिका के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आयोग, समय–समय पर उन निबंधनों और शर्तों को नियत कर सकेगा जिन के अधीन कोई व्यक्ति उसकी ओर से कार्रवाई करने व पैरवी करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता हैं।

9. कार्यवाहियों का शुरू करना

(1) आयोग स्वतः अथवा किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही शुरू कर सकेगा।

(2) आयोग, कार्यवाही शुरू करने की तामील के लिये, उत्तर फाइल करने के लिए और याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर नोटिस जारी कर सकेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे तो प्रभावित पक्षकारों को ऐसे नोटिस तथा प्रत्युत्तर उपयुक्त प्रारूप में फाइल किए जाने के निर्देश भी दे सकेगा। आयोग यदि उचित समझे, तो कार्यवाही के मामले पर टीका टिप्पणीयाँ ऐसे प्रारूप में जैसा आयोग निर्देश दें, आमंत्रित करते हुए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

(3) आयोग उचित मामलों में जाँच के नोटिस जारी करते समय आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग बाद में याचिकाकर्ता के रूप में मामले को प्रस्तुत करने के लिये उचित समझे, निर्दिष्ट कर सकता है।

10. आयोग के समक्ष याचिकाएं और अभिवचन

(1) आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं में सामान्य शीर्षक इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र I में या समय–समय पर आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित रूप में होगा।

(2) फाईल की गई प्रत्येक याचिका एक शपथ पत्र द्वारा सत्यापित की जायेगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथ पत्र इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र II में या समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित रूप में होगा, ऐसे मामले में जहां याचिका एक कंपनी द्वारा दाखिल की गई है वहां याचिका एवं शपथ पत्र प्रबंध निदेशक/निदेशक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें जो कंपनी के मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक की श्रेणी से नीचे का न हो परन्तु, पूर्वोक्त मामलों के शुल्क याचिकाओं, निवेश अनुमोदन याचिका और समीक्षा याचिका के मामले में याचिका एवं शपथपत्र पर ऐसी याचिकाओं का अनुमोदन करते हुए कंपनी के निदेशक बोर्ड के संकल्प के साथ प्रबंध निदेशक या निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और सत्यापन किया जायेगा।

(3) प्रत्येक शपथ पत्र प्रथम व्यक्ति के नाम लिखा जायेगा तथा इसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर करने की उसकी क्षमता का विवरण होगा तथा इस पर शपथ पत्र प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर और सत्यापित किया जायेगा।

(4) जहां शपथ पत्र में कोई कथन अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त जानकारी में सत्य बताया गया है, वहां शपथ पत्र मे जानकारी के स्रोत का खुलासा भी किया जायेगा तथा यह कथन भी होगा कि अभिसाक्षी को यह विश्वास है कि यह जानकारी सत्य है।

(5) आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली सभी याचिकाएं टाईप की हुई, साइक्लोस्टाइल्ड या सफेद कागज़ पर दोनो ओर स्पष्ट रुप से छपी हुई हों तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमवर्ती रूप से संख्याकृत होना चाहिये। याचिका की विषय वस्तु पृथक वाक्यांश/पैरा में उपयुक्त रूप से विभाजित की जायेगी तथा क्रमवार संख्याकृत की जायेगी।

(6) याचिका सात प्रतियों (एक मूल तथा छः फोटोप्रतियों में) प्रतियों में या उतनी संख्या में दाखिल की जायेगी जो संख्या आयोग निर्देशित करे। इसके साथ में एमएसवर्ड/एक्सेल/पीडीएफ या समय समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रारुप में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दाखिल की जायेगी तथा सभी प्रतियां सभी संबंधों में पूर्ण होंगी। सभी याचिकाओं में भौतिक विवरण, इच्छित राहत, विधि के वे

प्रावधान जिनके अधीन याचिका दायर की गई है तथा ऐसी राहत मे आधार के साथ तथ्यों के एक स्पष्ट व संक्षिप्त विवरण का समावेश होना चाहिये।

(7) याचिका के साथ ऐसे दस्तावेज, समर्थन डाटा और कथन संलग्न होने चाहिये जैसे कि आयोग निर्देशित करे।

(8) समय समय पर संशोधित उविनिआ (फीस और जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के साथ पठित उविनिआ (फीस और जुर्माना) विनियम, 2002 मे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान याचिका प्रस्तुत करने के समय किया जायेगा।

11. अभिवचनों इत्यादि की प्रस्तुति और संवीक्षा

(1) सभी याचिकाएं मुख्यालय पर या ऐसे अन्य फाईलिंग केन्द्रों पर जमा की जायेंगी जिन्हें आयोग द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये तथा इन्हें कार्यालय समय पर दस्ती रुप से अथवा पावती के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा जमा किया जायेगा।

(2) याचिका प्राप्त होने पर अधिग्राही अधिकारी उस तिथि, जिस पर याचिका प्रस्तुत की गई है, को सील करते हुए व पृष्ठांकित करते हुए प्राप्ति स्वीकृति प्रदान करेगा तथा याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को मुहर लगा कर पावती प्रदान करेगा। यदि याचिका रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त की गई है तो वह तिथि जिस पर वह वास्तव में कार्यालय में प्राप्त की गई है, याचिका की प्रस्तुति की तिथि मानी जायेगी।

(3) अधिग्राही अधिकारी ऐसी किसी याचिका को स्वीकार करने से मना कर सकता है जो केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबंधों, विनियमों या आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की पुष्टिकारक नहीं है या अन्यथा त्रुटिपूर्ण है या जो विनियमों या आयोग के निर्देशों के अनुसार न हो कर अन्यथा प्रस्तुत की गई है।

परन्तु, कोई भी याचिका, इस प्रयोजन हेतु दिये गये समय के भीतर त्रुटि सुधारने के लिये याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को अवसर प्रदान किये बिना मना नहीं, की जायेगी। अधिग्राही अधिकारी, दायर की गई याचिका में त्रुटियों के संबंध में, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को लिखित में सलाह देगा।

(4) याचिका की प्रस्तुति और इसे स्वीकार करने से इन्कार के संबंध में अधिग्राही अधिकारी के आदेश से कथित पक्ष यह निवेदन कर सकता है कि इस मामले को उपयुक्त आदेशों के लिये आयोग के समक्ष रखा जाये।

(5) आयोग, पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका को मंगा सकता है तथा याचिका की प्रस्तुति और इन्कार के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

(6) यदि संवीक्षा में याचिका पर इन्कार नहीं किया जाता है या आयोग द्वारा इन्कार के किसी आदेश में सुधार किया जाता है तो याचिका को विधिवत पंजीकृत किया जायेगा और एक यूनिक नंबर दिया जायेगा।

(7) जैसे ही याचिका और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिये जायें और त्रुटियां, आपत्तियां यदि कोई हैं, दूर कर दी जायें तथा याचिका की संवीक्षा कर ली जाये और नंबर प्रदान कर दिया जाये तो

याचिका को स्वीकृति हेतु आयोग के समक्ष रखा जायेगा।

परन्तु व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ताओं की श्रेणी या किसी उपभोक्ता संगठन की शिकायत के मामले में यदि आयोग उचित समझे तो वह ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42(5) के निबंधनों के अनुसार इस उद्देश्य हेतु स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त ओम्बड्समैन को संदर्भित कर सकता है।

(8) आयोग, पक्षों को यह सूचना देते हुए कि याचिका स्वीकार कर ली गई है तथा प्रत्यावेदन उत्तर जमा करने की तिथि की सूचना देते हुए पक्षों की उपस्थिति आवश्यक किये बिना याचिका स्वीकार कर सकता है। आयोग, पक्ष(पक्षों) को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकृति से इन्कार का आदेश पारित नहीं करेगा।

(9) यदि आयोग याचिका स्वीकार करता है तो वह ऐसे आदेश और निर्देश दे सकता है जो वह आयोग द्वारा निर्देशित रूप में याचिका के विरोध में या समर्थन में उत्तर दाखिल करने के लिये उत्तरवादी(यों) तथा अन्य प्रभावित या इच्छुक पक्षों को नोटिस जारी करने के लिये आवश्यक समझे।

(10) प्रत्यावेदन और प्रतिउत्तर, इनकी एक सॉफ्ट कॉपी के साथ, अन्य पक्षों को सूचना देते हुए, बिना उपस्थित हुए, कोरियर/स्पीड पोस्ट के माध्यम से वादियो/प्रतिवादियो द्वारा सीधे जमा किये जा सकते हैं।

12. आयोग द्वारा जारी नोटिस और आदेशिका की तामील करना

(1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेशिका की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी :—

(a) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामील,

(b) किसी संदेश वाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना,

(c) पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा,

(d) उन मामलों में, जहां आयोग को यह समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त प्रकार से नोटिस, आदेशिका आदि तामील करना व्यवहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा, तथा;

(e) किसी अन्य प्रकार से जिसे आयोग द्वारा उचित समझे।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में आयोग को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार के तामील के प्रकाशन के व्यय को वहन करेगा।

(3) कोई नोटिस या आदेशिका जिसकी तामील की जानी आपेक्षित है या किसी व्यक्ति को पहुचाई जानी है उसे व्यक्तिगत या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिये गये पते पर या उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्रायः रहता है या व्यापार करता है।

(4) जहां नोटिस कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाए तो वह पक्षकार तामील का शपथ पत्र आयोग में नोटिस और आदेशिकाओं के तामील की तारीख और रीति का विवरण देते हुए फाइल करेगा।

(5) जहां किसी याचिका को विज्ञापित करना अपेक्षित हो, वहां इसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्टि अवधि के अन्दर विज्ञापित किया जाएगा, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाये कि यह विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका उस क्षेत्र में अधिक प्रसार हो तथा आयोग द्वारा निर्देशित किया गया हो, में दिया जायेगा।

(6) केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या विनियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और किसी निर्देश के, जिसे आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित अधिकारी के अधीन रहते हुए, सुनवाई के लिये आयोग आने वाले व्यक्ति अर्थात याची, आवेदक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आयोग कार्यवाही के संचालन के लिए उत्तरदायी बनाये, सभी नोटिस, सम्मन और अन्य आदेशिकाओं की तामीली और तामील किये जाने के लिये अपेक्षित नोटिस और आदेशिकाओं के विज्ञापन और प्रकाशन की व्यवस्था करेगा। आयोग तामीली को प्रभावी भी कर सकता है या किसी अन्य तरीके से जैसा वह उचित समझे तामीली को प्रभावित करने के लिये निर्देश दे सकता है।

(7) त्रुटि के नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील उनके प्रकाशन के सम्बन्ध में विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुपालन न होने पर आयोग या तो याचिका खारिज कर सकता है या ऐसे आदेश या अग्रेतर निर्देश दे सकता है जिन्हें आयोग ठीक समझे।

(8) व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि होने की वजह से किसी तामील या प्रकाशन को अवैधानिक नहीं समझा जायेगा परन्तु यह तब जबकि आयोग को यह समाधान हो गया हो कि ऐसी तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है और किसी त्रुटि अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब तक अवैधानिक नहीं होगी जब तक कि आयोग, किए गए आक्षेप पर यह न समझे कि उस त्रुटि या अनियमितता के कारण वास्तव में अन्याय हुआ है या ऐसा करने के लिये अन्य पर्याप्त कारण हो।

13. उत्तर, प्रत्युत्तर, विरोध, आक्षेपों इत्यादि को फाइल करना

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे याचिका की सुनवाई का नोटिस जारी किया गया हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है), जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहता है, पैरा–वार उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को जिस पर निर्भर किया गया है, ऐसी अवधि के भीतर और प्रतियों की ऐसी संख्या में, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये, फाइल करेगा। फाइल किए गए उत्तर में प्रतिवादी जांच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, इन्कार या स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेगा जिन्हें वह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझता है। उत्तर याचिका की ही रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा। प्रतिवादी उत्तर में यह भी इंगित करेगा कि क्या वह कार्यवाही में भाग लेने की इच्छा रखता है।

(2) प्रतिवादी, उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की प्रति के रूप में सम्यक् रूप से, सत्यापित प्रतियों के साथ, याचिकाकर्ता को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा और आयोग के कार्यालय में ऐसी तामीली का प्रमाण भी फाइल करेगा।

(3) जहां प्रतिवादी मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है तो, आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुज्ञा/अनुमति दे सकता है। उत्तर फाइल करने की ऊपर वर्णित प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए लागू होगी।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, (ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें उत्तर मांगते हुए नोटिस, आदेशिकाएं आदि जारी की गई हैं) जो इस प्रयोजन के लिए प्रकाशन के अनुसरण में आक्षेप या टिप्पणियां फाईल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर आक्षेपों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित अधिकारियों को पहुचांयेगा।

(5) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिभागिता मामले की कार्यवाहियों तथा निर्णय में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उप विनियम (4) के अनुसार आपत्ति या टिप्पणी दाखिल करें, उन्हें, जैसा यह उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये जिन्हें यह उपयुक्त समझें, अनुज्ञा दे सकता है।

14. मामले की सुनवाई

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मामले की सुनवाई के लिए प्रक्रम रीति, स्थान तथा समय निर्धारित कर सकता है।

(2) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विनिश्चित कर सकता है या पक्षकारों को शपथपत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(3) यदि आयोग, पक्षकारों से शपथपत्र के रूप में साक्ष्य दिये जाने के लिये निदेश देता है, तो आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो दूसरे पक्षकारों को वह शपथपत्र के अभिसाक्षी की प्रति परीक्षा करने का अवसर दे सकता है।

(4) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निदेश दे सकता है।

(5) आयोग, पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाइल करने का निदेश दे सकता है।

(6) आयोग, ऐसे आधार जिन्हें वह विधिमान्य समझे, किसी पक्ष को उसके निवेदन पर, कार्यवाही में सुनवाई अनुसूची के लिये अधिकतम तीन स्थगन प्रदान कर सकता है।

15. आयोग की न्यायिक शक्तियां

(1) आयोग, मामले में आदेश पारित करने से पहले किसी भी समय पक्षों को या उनमें से एकाधिक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझे, शपथ पत्र पर ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य खोजने व प्रस्तुत करने, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करने, आयोग के अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में किन्हीं बहियों, लेखों या अन्य दस्तावेजों या सूचना,

जिन्हें आयोग आदेश पारित करने के प्रयोजन हेतु मामले के लिये सुसंगत समझता है, की मांग कर सकता हैं।

(2) आयोग, किसी व्यक्ति जिसे वह आवश्यक समझें, को समन करने और उसे उपस्थित करवाने, शपथ मे उसकी अधीन उसके बयान लेने, साक्षियों के बयान लेने के निर्देश दे सकता है।

(3) आयोग, जांच या कार्यवाही के प्रयोजन से, विहित किये गये किसी भी मामले को देख सकता है।

(4) आयोग, इस निमित्त, किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है जो राजपत्रित श्रेणी से नीचे का न हो, यह अधिकारी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज या भौतिक वस्तु पायी जा सकती है तथा उसके पास ऐसे दस्तावेज को जब्त करने, उसके उद्धरण अथवा प्रतियां लेने की शक्ति होगी जो दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 100 के प्रावधानों के अधीन होगी।

(5) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसार आयोग की किसी कार्यवाही में जो कोई जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी कार्यवाही में उपयोग किये जाने के प्रयोजन से साक्ष्य गढ़ता है, ऐसी अवधि के लिये दंडनीय होगा जिसे सात वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने का भी दायी होगा।

(6) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसरण में जो कोई जानबूझकर आयोग की कार्यवाहियों को अपमानित करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्माना जो 1000/— रूपये तक हो सकता है, या दोनों हो सकती है।

(7) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 345 के अनुसरण में यदि कोई व्यक्ति इरादतन कोई अपमान करे या आयोग की उपस्थिति में कोई व्यवधान करे तो आयोग अपराधी को अभिरक्षा में निरूद्ध कर सकता है तथा न्यायपीठ के उठने से पहले किसी समय उसी दिन अपराध का संज्ञान ले सकता है तथा अपराधी को इस बात का कारण बताने के लिये, पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, कि उसे इस धारा के अन्तर्गत दण्ड क्यों न दिया जाये, अधिकतम रू0 200 का अर्थ और दण्ड न भरने पर साधारण कारावास जिसकी अवधि एक माह तक हो सकती है, यदि यह अर्थ दण्ड उसके पहले न भर दिया जाये, की सजा दे सकता है।

16. विवादों का अन्यों को सन्दर्भ

(1) आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मामले के ऐसे विवाद या विवादों को, जिन्हें वह उचित समझता है, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं है और जिन्हें आयोग विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिये अर्ह समझता है, निर्देश दे सकता है।

(2) आयोग समय समय पर किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या स्तर या वहाँ की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित है परन्तु उन तक सीमित नहीं है।

(3) आयोग, यदि यह ठीक समझे तो पक्षकारों के ऊपर उप विनियम 1 व 2 में पदाभिहित व्यक्तियों के सम्मुख निर्दिष्ट मामलों पर अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए पेश होने का निदेश दे सकता है।

(4) आयोग मामले का विनिश्चय करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गयी रिपोर्ट या राय, पक्षकारों द्वारा फाइल उत्तर को सम्यक् रूप से ध्यान में रख सकता है।

परन्तु आयोग ऐसी आख्या अथवा राय को निश्चायक मानने को बाध्य नहीं होगा।

17. जब कोई पक्ष उपस्थित न हो तो अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) जब कोई मामला सुनवाई के लिए लाया जाए और सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों में से कोई या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि पेश न हो तो आयोग, अपने विवेकाधिकार से जब याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या याचिका पर निर्णय कर सकता है।

(2) जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यथित व्यक्ति यथास्थिति याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है तथा यदि आयोग का यह समाधान हो जाए कि जब याचिका की सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, आयोग उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, आदेश वापस कर सकता है।

18. आयोग के आदेश

(1) आयोग याचिकाओं पर आदेश पारित करेगा और आयोग के सदस्य, जो मामले की सुनवाई करेंगे, आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) आयोग, उसके समक्ष कार्यवाही में, किसी चरण में, अंतरिम एक—पक्षीय आदेश सहित ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह अन्य बातो के अलावा, कार्यवाही के किन्हीं पक्षों या उपभोक्ताओं सहित अन्य व्यक्तियों या उपभोक्ताओं की श्रेणी या श्रेणियों के हित के संरक्षण हेतु उपयुक्त समझता हो।

(3) आयोग द्वारा जारी या संप्रेषित सभी आदेशों और निर्णयों को सचिव अथवा आयोग द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे तथा इनमे आयोग की शासकीय मुहर लगाई जायेगी।

(4) आयोग के सभी आदेशों को कार्यवाही के पक्षों को संप्रेषित किया जायेगा तथा इस पर सचिव या आयोग द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

19. किसी व्यक्ति द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति

(1) कार्यवाही के सभी अभिलेख, जिनमें दस्तावेज, कथन फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स, चाहे ऑडियो हो या वीडियो, आयोग की संपत्ति होंगे तथा आयोग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इनकी प्रतियां, छपाई, स्क्रीनिंग, प्रकाशन या इन्हें कोट या प्रसारित नहीं किया जायेगा।

(2) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख, समय–समय पर संशोधित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के साथ पठित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर तथा आयोग द्वारा निर्देशित अन्य निबंधनों का अनुपालन करने पर, कार्यवाही के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय पक्षों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण हेतु खुले होंगे।

(3) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख, जो गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं, कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित होने के पश्चात्, याचिका के पक्षों से अन्यथा किसी व्यक्ति के निरीक्षण हेतु खुले होंगे किन्तु ऐसे व्यक्ति को, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्देशित निबंधनों का अनुपालन करना होगा जिनमें समय, निरीक्षण का स्थान और तरीका तथा समय समय पर संशोधित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के साथ पठित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान, सम्मिलित हैं।

(4) कोई भी व्यक्ति, समय समय पर संशोधित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के साथ पठित उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान कर और आयोग द्वारा निर्देशित अन्य निबंधनों का अनुपालन कर आयोग के आदेशो, निर्णयों, निर्देशों और उनके समर्थन में कारणों तथा अभिवचनों, पत्रों और आयोग के अभिलेखों मे अन्य अंश जिनके लिये वह हकदार है, की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अध्याय III – विवादों का निपटारा

20. विवाद निपटारा

(1) अनुज्ञापियों और उत्पादक कंपनियों के मध्य किसी विवाद के मामले में आयोग विवाद पर न्याय–निर्णयन कर सकता है अथवा उसे केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार माध्यस्थम के लिये निर्देशित कर सकता है।

(2) यदि आयोग स्वयं न्याय–निर्णयन का निर्णय लेता है तो वह विनियमों के विनिर्दिष्ट तरीके से कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(3) यदि आयोग मामले का अवधारण माध्यस्थम द्वारा करने का निर्देश देता है तो जब तक कि अनुज्ञापी की अनुज्ञप्ति में अन्यथा नहीं दिया गया है, मामले का अवधारण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिसे आयोग इस निमित्त नामित करे।

परन्तु, यदि माध्यस्थम के किसी पक्ष को संभावित पक्षपात या ऐसे सदृश कारणों के आधार पर युक्ति युक्त आपत्ति है और यदि आयोग उन आपत्तियों को विधिमान्य और न्यायोचित समझता है तो आयोग एक नया नामांकन करेगा।

परन्तु, मध्यस्थों के नामांकन को छोड़कर प्रक्रिया सहित सभी संबंधो में माध्यस्थम, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन होगा।

21. **न्याय–निर्णयन, निपटारा और अधिनिर्णय पारित करने के लिये प्रक्रिया**

(1) यदि आयोग न्याय–निर्णयन का निर्णय लेता है तो इसके लिये प्रक्रिया, विनियम के अध्याय II में उपबंधित किये गये अनुसार होगी।

(2) यदि माध्यस्थम कार्यवाही में विवाद माध्यस्थम के लिये एक से अधिक मध्यस्थ के साथ निर्देशित किया जाता है तो माध्यस्थम कार्यवाही में निर्णय, इसके सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

(3) माध्यस्थम और न्याय–निर्णयन कार्यवाहियों की फीस एवं व्यय उन पक्षों द्वारा और उतनी राशि में वहन किये जायेंगे जो कि आयोग निर्देशित करे।

(4) माध्यस्थम अभिनिर्णय अंतिम होगा तथा माध्यस्थम के अधीन राहत चाहने वाले, विवाद के पक्षों/व्यक्तियों पर बन्धकारी होगा।

अध्याय IV – अनुज्ञप्ति

22. **अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन**

(1) इसमें समावेशित विनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण, वितरण, या राज्यांतर्गत व्यापार में संलग्न होने के इच्छुक हैं।

(2) किसी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आयोग, यदि उपयुक्त समझे तो वह समाचार पत्रों में विज्ञापन दे सकता है या ऐसे अन्य उपयुक्त तरीकों से अधिसूचित कर विद्युत के पारेषण, वितरण या राज्यांतर्गत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

(4) वितरण या पारेषण या राज्यान्तर्गत व्यापार के लिये प्रत्येक आवेदन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर इसे सचिव अथवा ऐसे अधिकारी को संबोधित किया जायेगा जिसे आयोग इस निमित्त अभिहित करे तथा इसके साथ निम्नलिखित को संलग्न किया जायेगा:

(a) आवेदक द्वारा प्रस्तावित प्रारूप अनुज्ञप्ति की छपी हुई 6 प्रतियां और एक सॉफ्ट कॉपी जिसमें इन विनियमों के परिशिष्ट में प्रपत्र III में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रारूप अनुज्ञप्ति के बाहर आवेदक या उसके एजेन्ट, यदि कोई है, का नाम और पता छपा हो;

(b) विद्युत के पारेषण/वितरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के मानचित्र की तीन प्रतियां जिन में प्रत्येक पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो;

(i) आपूर्ति किये जाने वाला क्षेत्र और पारेक्षण/वितरण प्रणाली का स्वरूप दर्शाते हुए विस्तृत मानचित्र/मानचित्र में वर्तमान प्रणाली और विद्युत का पारेषण/आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक या आवश्यक होने वाली नई सुविधा के मध्य अंतर स्पष्ट रूप से

प्रकट किया जायेगा। मानचित्र में उन उप–स्टेशनों, वितरण मेन्स, पारेषण/वितरण नेटवर्क, सड़कों, मार्गों को दर्शाया जायेगा जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है तथा सार्वजनिक और निजी उपभोक्ताओं के मध्य अंतर दर्शायेगा।

(ii) वे सड़कें और मार्ग जिन पर विद्युत की आपूर्ति की जानी है उन्हें इस प्रकार चिह्नित किया जायेगा, रंगयुक्त किया जायेगा जिससें किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन आने वाले क्षेत्र व मार्ग के भाग स्पष्ट हो सकें तथा ये पैमाने पर होंगे;

a. जो उपलब्ध सर्वाधिक बड़े पैमाने के ऑर्डिनेंस मानचित्र से कम न हो।

b. आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य पैमानों पर;

(c) विद्युत के प्रस्तावित पारेषण या वितरण क्षेत्र के किसी भाग के प्रशासन हेतु न्यस्त किसी स्थानीय प्राधिकरण की सूची;

(d) किसी ऐसी भूमि जो पारेषण और वितरण कारोबार के प्रयोजन हेतु आवेदन द्वारा प्राप्त करना प्रस्तावित है, का अनुमानित विलरण तथा ऐसी प्राप्ति के साधन;

(e) पारेषण या वितरण कारोबार के संबंध में विस्तारित करने के लियें प्रस्तावित पूंजी का एक सन्निकट विवरण तथा अन्य ऐसे विवरण जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित हों;

(f) यदि लागू हो, तो स्थानीय प्राधिकरण से सहमति की प्रप्ति/अनापत्ति;

(g) यदि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15(2)(ii) के अनुसार लागू हो तो केन्द्र सरकार से सहमति/अनापत्ति की प्रति;

(h) संगम अनुच्छेद और ज्ञापन की प्रति;

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित व्यक्तियों के मामले में वार्षिक रिपोर्ट्स की प्रतियां और संपरीक्षित लेखे तथा साथ में निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है उस वर्ष के तुरंत पूर्व एक वर्ष हेतु लेखे पर अनुसूचियां और नोट्स तथा आवेदन करने की तुरंत पूर्व तिथि से 30 दिन के भीतर पड़ने वाली किसी तिथि पर विशेष तुलनपत्र;

(j) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रमण फीस के भुगतान की रसीद;

(k) आवेदक का विवरण जिसमें तकनीकी, पूंजीगत पर्याप्तता और क्रेडिट योग्यता सम्मिलित है।

5. पारेषण अनुज्ञापी के रूप में कार्य करने के लिये इच्छुक किसी व्यक्ति को, आवेदन करने के तुरन्त पश्चात्, ऐसे आवेदन की एक प्रति राज्य पारेषण कंपनी को अग्रसरित करेगा। राज्य पारेषण कंपनी आवेदन की प्राप्ति स्वीकृति देगी तथा उक्त आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अपनी संस्तुतियां, यदि कोई हैं, आयोग को भेजेगी।

23. अनुज्ञापी होने के लिये अपेक्षाएं

(1) नागरिकता

आवेदक भारत का नागरिक होगा या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत भागीदारी फर्म या कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी या ऐसे व्यक्तियों का संगठन या निकाय जो भारत के नागरिक हों, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या भारतीय विधि के अधीन मान्यता प्राप्त कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति।

परन्तु, आवेदक को अपने संवैधानिक/संगठनात्मक दस्तावेजों जैसे कि संगम ज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी के मामले में) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के संवैधानिक दस्तावेजों के मुख्य उद्देश्यों के अनुसार विद्युत के पारेषण/वितरण/व्यापार करने के लिये प्राधिकृत रहा हो।

(2) व्यापार अनुज्ञापी के लिये अतिरिक्त अपेक्षाएं

(a) तकनीकी अर्हताएं

आवेदक के पास कम से कम एक पूर्ण—कालिक वृत्तिक होगा या जिसके पास निम्नलिखित क्षेत्र में प्रत्येक का अनुभव और अर्हता होगी :—

क्षेत्र	अर्हता और अनुभव
(a) ऊर्जा प्रणाली प्रचालन और ऊर्जा अंतरण के वाणिज्यिक पहलू	इन्जीनियरिंग में डिग्री और फील्ड में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव
(b) वित्त, वाणिज्य और लेखा	सीए/आई.सी.डब्ल्यू.ए/एम.बी.ए(वित्त) और फील्ड में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव

(b) पूंजी पर्याप्तता और तरलता अपेक्षाएं

(i) लिये जाने हेतु प्रस्तावित राज्यान्तर्गत व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पहले एक वर्ष के लिये या उससे कम अवधि, जिसके दौरान आवेदक को निगमित, पंज़ीकृत या गठित किया गया हो, के लिये, और आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलनपत्र की तिथि पर आवेदक की निवल संपत्ति, यहां नीचे विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होनी चाहिये:

कम सं0	व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी	एक वर्ष में व्यापार किये जाने के लिये प्रस्तावित विद्युत की मात्रा	कुल लागत (रू. करोड़ में)
1.	श्रेणी I	कोई सीमा नहीं	50.00
2.	श्रेणी II	1500 मिलियन यूनिट्स से अधिक नहीं	15.00
3.	श्रेणी III	500 मिलियन यूनिट्स से अधिक नहीं	5.00
4.	श्रेणी IV	100 मिलियन यूनिट्स से अधिक नहीं	1.00

(ii) आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तिथि पर आवेदन का न्यूनतम वर्तमान अनुपात 1:1 एवं तरलता अनुपात 1:1 होगा।

नोटः इस विनियम में विनिर्दिष्ट कुल लागत तथा चालू व तरलता अनुपात, कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर संगणित किये जायेंगे।

24. निर्योग्यताएं

(a) आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिये अर्ह नहीं होगा यदिः

(i) आवेदक या उसका कोई सहयोगी या भागीदार या प्रमोटर या निदेशक दिवालिया घोषित हो; या

(ii) यदि आवेदक, या उसका कोई सहयोगी या भागीदार या प्रमोटर, या निदेशक, आवेदन करने के वर्ष में या उस वर्ष से तीन वर्ष पहले की अवधि में नैतिक अधमता, कपट, या किसी आर्थिक अपराध से सम्बन्धित अपराध में दोषसिद्ध हुआ हो तथा ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप कारावास, यदि हुआ हो, से छूटे हुए छः मास की अवधि पूर्ण न हुई हो; या

(iii) आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किसी सहयोगी, या भागीदार, या प्रमोटर, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित कारणों के लिए पारित किया गया है तथा ऐसे निरस्तिकरण की तिथि से तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं हुई है; या

(iv) आवेदक के पास विद्युत के पारेषण या, व्यापार और वितरण अनुज्ञप्ति का अनुज्ञाप धारित हो या विपरीत, या,

(v) जहां आवेदक या उसका कोई सहयोगी, या भागीदार या प्रमोटर या निदेशक, आयोग द्वारा निर्मित अधिनियम / नियमों / विनियमों / आदेश के किन्ही उपबन्धों के अनानुपालन के लिये किसी कार्यवाही में दोषी पाया गया है तो आवेदक ऐसे अनानुपालन की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने के लिए वर्जित कर दिया जायेगा, ऐसा केन्द्रीय / राज्य आयोग के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था :

परन्तु, इस खण्ड के अधीन विनिर्दिष्ट निर्योग्यता की अवधि, ऐसे अनानुपालन की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए आयोग द्वारा परिवर्तित की जा सकेगी; या

(vi) आवेदन की तिथि पर या उसके पश्चात् अधिनियम के किसी उपबन्ध, या उसके अधीन संरचित विनियमों या नियमों या आयोग के आदेश के अनानुपालन हेतु आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के पश्चात् आवेदन पर विचार किया जायेगा;

परन्तु जहां कार्यवाही के अनानुपालन में आवेदक दोषी पाया जायेगा वहां उसके आवेदन का निपटान इस उप–विनियम के खण्ड (v) के अनुसार किया जायेगा।

(vii) आवेदक, किसी अन्य कारण से, अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु एक उपयुक्त व उचित व्यक्ति नहीं समझा जाता है तो कारण लिखित में अभिलिखित किये जायें।

25. आवेदन की अभिस्वीकृति

आवेदन प्राप्त होने पर, अधिग्राही अधिमारी इस पर इसकी प्राप्ति का दिनांक नोट करेगा तथा आवेदक को इसकी प्राप्ति की दिनांक उल्लिखित करते हुए अभिस्वीकृति भेजेगा।

26. सार्वजनिक निरीक्षण हेतु प्रतियां –

(1) आवेदक अपने स्वयं के और अपने प्रतिनिधि (यदि कोई हैं) के कार्यालय पर तथा प्रस्तावित आपूर्ति के किसी भाग के प्रशासन के साथ निवेशित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय पर, सामान्य फोटो कॉपी प्रभार से अनाधिक मूल्य पर, उसके लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुत किये जाने वाली प्रारूप अनुज्ञाप्ति की प्रतियां जमा करेगा।

(2) आवेदक अपनी स्वयं की वेबसाईट पर परिशिष्टों व संलग्नकों के साथ पूर्ण आवेदन भी पोस्ट करेगा ताकि कोई व्यक्ति इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन तक पहुंच प्राप्त कर सके तथा उसके आवेदन के निराकरण तक उन्हें वेबसाईट पर रखेगा।

27. अतिरिक्त सूचना मांगना

आयोग अथवा सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित कोई अधिकारी आवेदन की संवीक्षा करने पर आवेदक से अपेक्षा कर सकता है कि वह निदेशित किये जाने वाले समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त सूचना या विशिष्टियां या दस्तावेज जिन्हें आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से आवश्यक समझा जाये, दें।

28. आवेदन के सम्यक दाखिल करने को अधिसूचित करना

यदि आयोग को पूर्ण पाये और अपेक्षित सूचना, विशिष्टियां और दस्तावेज उसके साथ हों ओर आवेदक ने आवेदन करने की और सूचना, विशिष्टियां और दस्तावेजों को देने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो, तो आयोग अथवा सचिव यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन प्रचलित कानून के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति पर विचार किये जाने के लिये तैयार है।

29. आवेदन का विज्ञापन तथा उसकी विषय वस्तु

(1) जब तक कि लागू होने वाले कानून/आयोग द्वारा छूट न दी जाये, आवेदक, आवेदन की स्वीकृति से सात दिन के अन्दर अपने आवेदन की सूचना को सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा प्रकाशित करेगा तथा उस विज्ञापन में, इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट विवरण (प्रपत्र – IV) में होंगे।

(2) विज्ञापन का प्रारम्म संक्षिप्त शीर्ष से हो जो प्रारूप लाइसेंस के प्रारम्भ मे दिये गये शीर्ष से मिलता हो और उसमें उन कार्यालयों के पते होंगे जिनमें निर्दिष्ट प्रारूप लाइसेंस, मानचित्रों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सके और प्रारूप लाइसेंस की प्रतियों का परिशीलन या क्रय किया जा सके तथा यह भी विवरण होगा कि प्रत्येक स्थानीय अधिकारी, यूटिलिटी या व्यक्ति जो आवेदन के संदर्भ में आयोग को कोई प्रतिवेदन/आपत्ति देने का इच्छुक हो, सचिव को या आयोग द्वारा इस निमित्त

पदाभिहित अधिकारी को सम्बोधित करते हुए, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर पत्र भेज सकता है।

(3) आयोग यह निदेश दे सकता है कि आवेदन के नोटिस की केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति या निकाय पर जिसे आयोग ऐसी अन्य प्रक्रिया से जैसा आयोग समुचित समझे, तामील की जाये।

आगे किसी छावनी या उसके किसी भाग, विमानपत्तन, दुर्ग, शस्त्रागार, डॉकयार्ड, कैम्प या अन्य कोई भवन या स्थान जो सैन्य उद्देश्य से सरकार के अधीन हों सहित किसी क्षेत्र के लाइसेंस के आवेदन हेतु आयोग यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही लाइसेंस जारी करेगा कि केन्द्रीय सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

30. प्रारूप लाइसेंस का प्रतिनिधित्व/आपत्तियां

(1) लाइसेंस की स्वीकृति पर आपत्ति करने का इरादा करने वाला कोई व्यक्ति, समाचार पत्र में आवेदन की सूचना के प्रकाशन से तीस दिन के अन्दर आपत्ति दाखिल करेगा। आपत्ति उत्तर के रूप में अध्याय II के प्रावधान के अनुरूप दाखिल की जायेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो प्रारूप लाइसेंस में किसी संशोधन को कराने की इच्छा रखता है आवेदक को तथा सचिव या ऐसे अधिकारी को जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करें, समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिन के अन्दर, संशोधन का विवरण पहुंचायेगा।

31. अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए सुनवाई

(1) नोटिस के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग सुनवाई हेतु आवेदन रखे जाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

(2) आयोग, आवेदक, आपत्तियां दर्ज करने वाले व्यक्तियों/प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय जिन्हें वह उपयुक्त समझें, सुनवाई का नोटिस देगा।

(3) आयोग, पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में राज्य पारेषण कम्पनी की संस्तुतियां, यदि कोई हैं, पर विचार करेगा।

32. अनुज्ञप्ति का अनुमोदन

(1) लिखित में और सुनवाई के समय प्राप्त उत्तर/आपत्तियां/अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या न करने पर निर्णय करेगा। यदि आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निर्णय लेता है तो वह ऐसे आशोधनों, जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के साथ प्रारूप अनुज्ञप्ति को अनुमोदित कर ऐसा कर सकता है।

परन्तु किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाये।

(2) जब अपने मूल अथवा आशोधित रूप में प्रारूप अनुज्ञप्ति को आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जाये तो संचित अथवा आयोग द्वारा इस निमित अभिहित किया गया, अधिकारी आवेदक को इसकी सूचना देगा तथा साथ ही उसे अन्य पूर्ण की जाने वाली शर्तें व अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु भुगतान की जाने वाली फीस की जानकारी देगा जहां तक व्यवहार्य हो, अनुज्ञप्ति, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अ में विनिदिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(3) किसी अनुज्ञप्ति के प्रदान किये जाने से पहले आयोग ऐसे दो समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता उल्लिखित होगा जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(4) आयोग, संबंधित पक्षों के सुझाव/आपत्तियों तथा स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (STU) की संस्तुतियां, यदि कोई हैं, पर विचार करने के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

(5) अनुज्ञप्ति जारी करने के तुरन्त पश्चात् आयोग, अनुज्ञप्ति की एक प्रति राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें आयोग उचित समझे, को अग्रसारित करेगा।

33. लाइसेंस के प्रारम्भ की तिथि तथा अवधि

लाइसेंस उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिस तिथि से लाइसेंस का प्रारम्भ आयोग निदेशित करे तथा यह पच्चीस वर्ष के लिये विधिमान्य होगा जब तक कि ऐसे लाइसेंस को निरस्त न किया जाये।

34. मुद्रित प्रतियों का जमा किया जाना

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे लाइसेंस स्वीकृत किया जाये, उसकी स्वीकृति से तीस दिन के भीतर लाइसेंस की प्रतियों की पर्याप्त संख्या मुद्रित करायेगा। सभी समुचित समयों पर ऐसे लाइसेंस एवं मानचित्रों की प्रति लोक निरीक्षण हेतु अपने मुख्य कार्यालय, अपने स्थानीय कार्यालय (यदि कोई है) तथा आपूर्ति क्षेत्र के अन्दर स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्येक कार्यालय में रखने की व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी, तीस दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर लाइसेंस की एक प्रति आपूर्ति क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को निःशुल्क देगा और लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों की उन व्यक्तियों के लिये, जो उसके लिये आवेदन करें, ऐसे मूल्य पर जो प्रति फोटोकॉपी की सामान्य कीमत से अधिक न हो, विक्रय के लिये आवश्यक व्यवस्था भी करेगा।

35. अनुज्ञप्ति से छूट प्रदान करना

अनुज्ञप्ति से छूट, केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

36. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

(1) जांच करने के पश्चात् यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा आवश्यक है तो वह निम्नलिखित में से किसी मामले में अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है:—

(a) जहां अनुज्ञापी, केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों का विनियमों या उसके द्वारा उपेक्षित किसी बात में लम्बे समय तक जानबूझ कर व्यतिक्रम करता है;

(b) जहां अनुज्ञापी उसकी अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबन्धनों या शर्तों को तोड़ता है, जिनका तोड़ना उस अनुज्ञप्ति द्वारा अभिव्यक्त राय से प्रतिसंहरण के लिए जिम्मेदार घोषित किया गया है;

(c) जहां अनुज्ञापी उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित नियत अवधि या इससे लम्बी अवधि जो यदि आयोग प्रदान करे, के भीतर अनुज्ञापी विफल रहता है, अतः –

(i) आयोग के समाधान हेतु यह दर्शाने में कि उसकी अनुज्ञप्ति के द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन में पूरी तरह वह कुशलतापूर्वक सक्षम है या

(ii) प्रतिभूति जमा करने या प्रस्तुत करने या उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित फीस और अन्य प्रभारों का भुगतान करने में;

(d) जहां आयोग की राय में अनुज्ञापी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों के पूरी तरह कुशलतापूर्वक निष्पादन में अयोग्य है।

(2) जहां आयोग की राय में जन–हित में ऐसा आवश्यक है, वहां आवेदन पर या अनुज्ञापी की सहमति से, कारण अभिलिखित कर, केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार वितरण या पारेषण या व्यापार के उसके क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग हेतु अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकता है।

37. प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का संशोधन

(1) जहां आयोग की राय में जन हित में ऐसा आवश्यक है, वहां अनुज्ञापी के आवेदन पर या अन्यथा वहां अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में आयोग ऐसे परिवर्तन और संशोधन कर सकता है जो वह उचित समझें :

परन्तु अनुज्ञापी की सहमति को छोड़कर अन्यथा कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जायेगा जब तक कि आयोग की राय में ऐसी सहमति अनुचित रूप से रोकी गई है।

(2) अनुज्ञप्ति में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने से पहले निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, यथा :–

(a) जहां अनुज्ञापी ने अपनी अनुज्ञप्ति में किसी परिवर्तन या आशोधन का प्रस्ताव करते हुए आवेदन लिया है, वहां अनुज्ञापी प्रस्तावित संशोधन के कारण प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञापी के कर्तव्यों के निष्पादन, प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव, कर्तव्यों के ऐसे निष्पादन हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य ऐसे विवरण जो उपयोग निदेशित करे, प्रदान करते हुए स्वीकृति की तिथि से सात दिन के भीतर ऐसे आवेदन का नोटिस प्रकाशित करेगा।

प्रकाशन में इन कार्यालयों के पते दिये जायेंगे जहां संशोधन हेतु आवेदन का निरीक्षण किया जायेगा और दस्तावेजों की प्रतियां क्रय की जायेंगी तथा उसमें यह उल्लिखित किया जायेगा कि प्रत्येक प्राधिकरण, कम्पनी या व्यक्ति जो उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में कोई अभ्यावेदन करने का इच्छुक है वह उक्त प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर, इस निमित्त आयोग द्वारा अभिहित किये गये अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा ऐसा कर सकता है।

(b) किसी छावनी, एरोड्रोम, फोर्ट्रेस, आर्सनल, डॉकर्याड या कैंप या रक्षा के उद्देश्य से सरकारी कब्जे वाले किसी स्थान या भवन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग के आपूर्ति के क्षेत्र में परिवर्तन या आशोधन प्रस्तावित करने वाले आवेदन के मामले में आयोग केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई परिवर्तन या आशोधन नहीं करेगा;

(c) जहां अनुज्ञापी के आवेदन से अन्यथा, अनुज्ञप्ति में कोई परिवर्तन या आशोधन प्रस्तावित है वहां आयोग ऐसे विवरण के साथ व ऐसे तरीके से प्रस्तावित परिवर्तन या आशोधन प्रकाशित करेगा जो कि प्रारूप अनुज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु विनिर्दिष्ट किये गये हों;

(d) आयोग तब तक कोई परिवर्तन या आशोधन नहीं करेगा जब तक कि नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार न कर लिया गया हो।

(3) अनुज्ञप्ति में संशोधन या परिवर्तन हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ उतनी फीस की रसीद संलग्न होगी, जितनी की आयोग द्वारा अपेक्षित है तथा इसका भुगतान आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से किया जायेगा।

38. वितरण अनुज्ञप्ति का निलंबन

(1) यदि कभी आयोग की राय में वितरण अनुज्ञापी :

(a) उपभोक्ताओं को विद्युत की गुणवत्ता से सम्बन्धी मानकों की पुष्टिकारक विद्युत को अबाधित आपूर्ति बनाये रखने में लगातार विफल रहा है; या

(b) इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा उनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ है; या

(c) इस अधिनियम के अधीन केन्द्र/राज्य आयोग द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन करें, लगातार व्यतिक्रम किया हो; या

(d) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को तोड़ा हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जो जनहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक प्रतीत होती हों तो आयोग, कारण अभिलिखित कर वितरण अनुज्ञापी की अनुज्ञप्ति को अधिकतम एक वर्ष के लिए निलंबित कर सकता है और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन वितरण अनुज्ञापी के कृत्यों के निष्पादन हेतु एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

अध्याय V— बिजली खरीद तथा वितरण लाइसेंसधारी की खरीद प्रकिया

39. अनुज्ञापी के ऊर्जा क्रय का विनियमन

(1) अनुज्ञापी उसके द्वारा पहले से किये गये सभी ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की प्रतियां पूर्ण रूप से आयोग के पास दाखिल करेगा।

(2) अनुज्ञापी आयोग की सन्तुष्टि के अनुसार सिद्ध करेंगे कि अनुज्ञापियों द्वारा ऊर्जा का क्रय

पारदर्शी ऊर्जा क्रय अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अधीन है तथा मितव्ययी है तथा ऊर्जा अनुज्ञापी को उसकी सेवा बाध्यता पूरा करने के लिये आवश्यक है।

(3) अनुज्ञापी किसी ऊर्जा क्रय अनुबंध के, जिसे अनुज्ञापी करने का प्रस्ताव करता है, के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिये आयोग को आवेदन करेगा। आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:

(a) अनुबन्ध को अनुमोदित करने, या

(b) अनुबन्ध के निबन्धनों में प्रस्तावित उपान्तरों के साथ अनुबन्ध को अनुमोदित करने, या

(c) अनुबन्ध को निरस्त करने का।

(4) इसमें अन्तर्विष्ट कुछ भी, आयोग द्वारा अनुमोदित या सम्मति प्राप्त व्यवस्था व सहमति के नियम व शर्तों के अनुसार विद्युत क्रय या ऊर्जा अधिप्राप्ति की व्यवस्थाओं की सहमतियाँ अनुज्ञापी की अन्य जिन व्यक्तियों के साथ हैं, उनसे विद्युत व्यवसायी, उत्पादक कम्पनियों से, क्रय की व्यवस्था, विद्युत का अर्जन या आयात, वर्तमान संविदा के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञापी की बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा।

(5) ऊपर लिखित खण्ड (2) या (3) के प्रावधान या उन पर की गयी किसी कार्यवाही का किसी भी प्रकार से, लागू कानून के किसी अन्य उपबन्ध, विनियम और समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन आयोग के कृत्यों और शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय VI — निवेश अनुमोदन

40. आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं

(1) जब तक अन्यथा निदेशित न हो, प्रत्येक अनुज्ञापी और एस0एल0डी0सी0 अपने व्यापार में निवेश करने के लिए आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा, यदि ऐसा निवेश, एक साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय—समय पर आयोग द्वारा नियत की गई सीमाओं से अधिक है।

परन्तु अपरिहार्य घटनाओं के मामले में आयोग, प्रत्येक अनुज्ञापी और एस0एल0डी0सी0 द्वारा व्यापार में निवेश करने के लिए आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर सकता है, तथापि, ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में यह प्रदर्शित करना होगा कि वे कम्पनियों के नियंत्रण के भीतर नहीं थी।

(2) यथास्थिति उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर परम्परागत/नवीकरणीय स्रोतों से अन्यथा) या पारेषण कम्पनी, उत्पादक स्टेशन या उसकी एक यूनिट या पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवन से आगे जीवन के विस्तार के उद्देश्य से नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण (आर0एम0यू0) पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन करेगी, जिसके साथ पूर्ण संभावना, औचित्य, लागत लाभ विश्लेषण, एक सन्दर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय की चरणबद्धता, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ

मूल्य स्तर, पूर्णता लागत जिसमें विदेशी मुद्रा घटक, यदि कोई है, सम्मिलित है, लाभार्थियों के साथ परामर्श का रिकॉर्ड तथा उत्पादक कम्पनी या पारेषण कम्पनी द्वारा सुसंगत समझी गई अन्य जानकारी प्रदान करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट होगी।

(3) निवेश की स्वीकृति के आवेदन में, अनुज्ञापी, एस0एल0डी0सी0, उत्पादक कम्पनी (गैर पारंपरिक/ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा) निम्नलिखित सूचना या विवरण प्रदान करेगा।

(a) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें आर्थिक–तकनीकी प्रणाली की परीक्षा तथा निवेश के पर्यावर्णीय पहलू के साथ, लिये गये कार्य की रूपरेखा, निवेश की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए विवरण तथा प्रमुख तंत्र अन्तर्विष्ट होंगें।

(b) परियोजना लागत के साथ लागत लाभ विश्लेषण।

(c) क्या निवेश किसी नयी परियोजना में है या वर्तमान प्रणाली के प्रसार या उच्चीकरण हेतु है।

(d) परियोजना के निष्पादन हेतु अपेक्षित मंजूरी तथा कानूनी निर्बाधन तथा ऐसी मंजूरी व कानूनी निर्बाधन की अवस्था।

(e) वित्तीय वर्ष में निवेश की क्रमबद्धता तथा स्थापना की सारिणी।

(f) अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0 तथा उत्पादक कम्पनी (गैर पारंपरिक/ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा) की राजस्व अपेक्षाओं में शामिल करने के उद्देश्य हेतु निवेश के पूंजीकरण की रीति।

(g) परियोजना को लागू करने या निवेश करने में अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0 तथा उत्पादक कम्पनी (गैर पारंपरिक/ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अलावा) के समक्ष आने वाली बाध्यतायें, उपलब्ध सूचनाओं पर बाध्यताओं सहित।

(h) निवेश पूर्ति हेतु संसाधनों का संचालन तथा वित्तीय योजनाएं।

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित पारदर्शी संविदा प्रक्रिया के अनुरूप निवेश से सम्बन्धित सामग्री या/और सेवाओं, उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा के निष्पादन तथा आमन्त्रण हेतु प्रक्रिया।

(j) ऐसे अन्य विवरण जो आयोग समय–समय पर निदेशित करे।

41. आयोग द्वारा कार्यवाहियाँ–

(1) आगामी वर्ष के लिये, उपरोक्तानुसार अनुज्ञापी या एस0एल0डी0सी0 द्वारा नियोजित प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ विनियम 40 के उप विनियम (3) में उपबन्धित किये गये अनुसार पूर्ण विवरण संलग्न किये जायेंगे तथा आगामी वर्ष हेतु शुल्क याचिका के साथ इन्हें जमा किया जायेगा।

(2) आयोग, अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों से अन्यथा) द्वारा किये जाने वाले निवेश हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार करते समय, ऐसी जांच व परामर्श करेगा जैसी वह उचित समझे।

(3) आयोग कार्यवाही प्रारम्भ करेगा या शुल्क के निर्धारण हेतु कार्यवाही या कोई अन्य कार्यवाहियाँ जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के भाग के रूप में निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन पर विचार करेगा।

(4) आयोग, परामर्शियों, विशेषज्ञों व अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, की नियुक्ति करेगा तथा आयोग के स्टॉफ, परामर्शियों और विशेषज्ञों को निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन, जिसके साथ आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क (फीस) संलग्न होगी, पर आयोग द्वारा विचार करने से पहले अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों से अन्यथा) के साथ चर्चा और बातचीत आयोजित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

42. अतिरिक्त जानकारी

(1) निवेश अनुमोदन चाहने वाला अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों से अन्यथा) आयोग के स्टॉफ, परामर्शियों और इस उद्देश्य से आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित जानकारी, विवरण, दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तथा अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों से अन्यथा) भी शक्ति, कब्जे, अभिरक्षा में रखे रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों तक उन को पहुँच की अनुमति देंगे। अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी (ऊर्जा के गैर परम्परागत/ नवीकरणीय स्रोतों से अन्यथा) अपने कृत्यों के निष्पादन में और उनके निष्कर्षों के परिणाम आयोग को प्रस्तुत करने में समर्थता हेतु आयोग के स्टॉफ, परामर्शियों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करेंगे।

अध्याय VII – दरें

43. उत्पादक कम्पनियों/एस0एल0डी0सी0 तथा अनुज्ञापियों द्वारा फाइल करना

(1) आयोग, अनुज्ञापी व उत्पादक कम्पनियों की राजस्व दरों, के निर्धारण के नियम व शर्तें, लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रभार से प्रत्याशित राजस्व की गणना करने और दर का अवधारण करने की प्रणाली और प्रक्रिया, समय–समय पर आयोग द्वारा प्रावधानित की जा सकती है। आयोग किसी समय प्रणाली और प्रक्रिया में, जैसा वह उचित समझे, वृद्धि संशोधन, परिवर्तन, पुनरीक्षण, प्रतिस्थापन या अन्यथा परिवर्तन कर सकता है।

(3) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये, अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनियों के राजस्व और शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 62 निबंधनों के अनुसार दरें और केन्द्रीय अधिनियम की धारा 32 (3) के निबंधनों में एस0एल0डी0सी0 प्रभार किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी को अनुमत शुल्क पश्चातवर्ती अवधि हेतु तय किये जाने वाले किसी शुल्क में समायोजन के अधीन होंगे, यदि आयोग का कारण अभिलिखित कर यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में वसूली गयी, अधिक राशि या राशि में कमी हेतु ऐसा समायोजन आवश्यक है और आयोग आगे संतुष्ट है कि यह अनुज्ञापी/एस0एल0डीसी0/उत्पादक कम्पनी पर उपारोप्य कारणों से नहीं है।

(4) लागू होने वाले अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक वर्ष, अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी आयोग के पास समय–समय पर आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार एक व्यापार योजना और/या शुल्क याचिका फाईल करेंगी, तथापि उपरोक्तानुसार यह तिथि तक अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी द्वारा फाईलिंग न किये जाने पर आयोग स्वप्रेरणा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा MYT विनियमों के अनुसार शुल्क आदेश जारी करेगा।

परन्तु इस उप–विनियम में संदर्भित उपबन्ध ऊर्जा के गैर परम्परागत/नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादक स्टेशनों पर लागू नहीं होंगे तथा ये उत्पादक स्टेशन समय–समय पर लागू हुए अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिश्ट आर0ई0 विनियमों द्वारा शासित होंगे।

(5) ऊपर लिखित उप–विनियम (4) में सन्दर्भित फाईलिंग, अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी के प्रत्येक पृथक कारोबार हेतु पृथक रूप से, तथा प्रत्येक ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्रदान की जायेगी।

(6) उपरोक्त के होते हुए भी, अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी आयोग द्वारा जारी प्रारूप में आयोग को राजस्व परिकलन की ऐसी फाईलिंग से पूर्व, उसके साथ या उसके पश्चात्, समय समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

44. शुल्क प्रस्तावों की कार्यवाहियाँ और प्रकाशन

(1) अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी अपने शुल्क प्रस्ताव की स्वीकृति से तीन दिन के भीतर, प्रस्तावित शुल्क की रूप–रेखा देते हुए तथा इच्छुक व्यक्तियों और राज्य सरकार से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए, राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करेंगे।

(2) आयोग अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी द्वारा दिये गये राजस्व परिकलनों और शुल्क प्रस्तावों पर कार्यवाही आयोजित कर सकेगा और उन व्यक्तियों को सुन सकेगा जिन्हें आयोग ऐसे राजस्व परिकलनों व शुल्क प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त समझे।

(3) अनुज्ञापी/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनी के शुल्क प्रस्तावों पर सुनवाई सहित कार्यवाहियां, जहां तक सम्भव हो, उसी तरह से की जायेंगी जैसा इन विनियमों के अध्याय II में उपबंधित किया गया है।

45. आयोग का आदेश–

(1) पूर्ण आवेदन की प्राप्ति अर्थात् याचिका की स्वीकृति से एक सौ बीस दिन के भीतर और जनता से प्राप्त सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् आयोग :–

(a) ऐसे आशोधनों या ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि ऐसे आदेश में समावेशित हो, आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश जारी करेगा, या

(b) यदि आवेदन, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन निर्मित नियमों व विनियमों या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन अस्वीकार करेगा।

परन्तु आवेदन के अस्वीकार किये जाने से पहले आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) आयोग द्वारा अवधारित शुल्क, शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।

(3) आयोग, आदेश से सात दिन के भीतर राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ओर सम्बन्धित अनुज्ञापियों/एस0एल0डी0सी0/उत्पादक कम्पनियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को शुल्क आदेश की प्रति अग्रसरित करेगा।

46. दर का प्रकाशन

(1) अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित दर या दरों को राज्य में प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा तथा यदि आवश्यक हो आयोग उन्हें स्टेकहोल्डर्स के सूचनार्थ भी प्रचारित कर सकता है। प्रकाशन में अन्य बातों के अलावा जिनकी आयोग अपेक्षा करे, दर संशोधन का सामान्य विवरण और उपभोक्ताओं के वर्गों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव सम्मिलित होगा।

47. शुल्क का संशोधन–

(1) अवधारित शुल्क, केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ईंधन अधिभार फार्मूला के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञेय किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में, को छोड़ कर अन्यथा एक वित्त वर्ष में एक बार से अधिक संशोधित या आशोधित नहीं किये जायेंगे।

अध्याय VIII — अन्वेषण और जांच

48. अन्वेषण—

(1) आयोग का इस बात पर समाधान हो जाने पर कि अनुज्ञापी या एक उत्पादक कम्पनी, अनुज्ञप्ति या केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है तो आयोग, किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा एक "अन्वेषक प्राधिकारी" को अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी के मामलों का अन्वेषण करने और केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दे सकता है।

(2) आयोग, "अन्वेषक प्राधिकारी" की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट, के सम्बन्ध में, जैसा कि आयोग की राय में युक्तियुक्त प्रतीत हो, अभ्यावेदन करने के लिए यथास्थिति अनुज्ञापी और उत्पादक कम्पनी को अवसर प्रदान कर लिखित में आदेश द्वारा :—

(a) अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी को, रिपोर्ट से उत्पन्न किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए कह सकता है जैसा कि आयोग उचित समझे, या

(b) अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है, या

(c) उत्पादक कम्पनी को विद्युत के उत्पादन का कारोबार ना चलाने का निर्देश दे सकता है।

(3) आयोग यथा स्थिति, अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी को युक्तियुक्त नोटिस दे कर, उपयुक्त समझे अनुसार, अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट को प्रकाशित करवा सकता है।

(4) आयोग, अनुज्ञापी और उत्पादक कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी, ऐसी जानकारी को रखे जाने का तरीका और उस सम्बन्ध में अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी द्वारा अपनायी जाने वाली जांच व सत्यापन तथा उससे प्रासंगिक अन्य सभी मामले जो आयोग की राय में, अपने कृत्यों के निष्पादन में अन्वेषक प्राधिकारी को समर्थ करने के लिए आवश्यक हैं, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(5) किसी किये गये अन्वेषण के और उससे प्रासंगिक सभी व्यय यथास्थिति अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी द्वारा अदा किये जायेंगे तथा अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी से देय उधारों के ऊपर इनकी प्राथमिकता होगी और भू—राजस्व के बकाया के रूप में इनकी वसूली होगी।

49. जांच

(1) आयोग, किसी भवन या स्थान में प्रवेश करने के लिये आयोग की ओर से सचिव या किसी अधिकारी को विशेष रूप से प्राधिकृत कर सकता है, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां जांच की विषय वस्तु से संबन्धित कोई दस्तावेज पाये जा सकते है और केन्द्रीय अधिनियम के अधीन वह ऐसे दस्तावेज जब्त कर सकता है या उनकी प्रतियां निकलवा सकता है।

(2) यदि आयोग को यह प्रतीत होता है कि प्राप्त कोई जानकारी अपर्याप्त है तो आयोग, मामले में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकता है।

(3) आयोग ऐसे प्रासंगिक, परिणामिक और अनुपूरक मामलों पर ध्यान देने के निर्देश दे सकता है जिन्हें वह जांच के सम्बन्ध में सुसंगत समझता है।

अध्याय IX – आर्थिक दण्ड एवं प्रभार

50. आर्थिक दण्ड एवं प्रभार का अधिरोपण

(1) आयोग, स्वयं या प्रभावित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होने पर अर्थदण्ड तथा प्रभार के अधिरोपण तथा प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, यदि आयोग की दृष्टि में, प्रथम–दृष्ट्या, बताये गये तथ्य, उत्पादक कम्पनी, अनुज्ञापी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग के आदेशों या निर्देशों, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों की अपेक्षाओं व प्रावधानों के उल्लघंन या अनुपालन न होना स्थापित करते हों।

(2) यदि आयोग प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्णय करता है कि उस विषय में कार्यवाही का प्रथम–दृष्टया कारण है तो वाद निबंधित किया जायेगा तथा उपर्युक्त उप खण्ड (1) के अधीन, जो व्यक्ति उल्लघंन या अनुपालन न करने का उत्तरदायी हो उसे समुचित समय के भीतर कारण बताने के लिये नोटिस जारी किया जायेगा कि उस पर अर्थदण्ड तथा प्रभार अधिरोपित क्यों न किये जायें ? नोटिस में, अभिकथित, अनुपालन न करने व उल्लघंन के विशिष्ट संदर्भ के साथ अभिकथन के सार का विवरण होगा।

(3) उपस्थिति के लिये नोटिस में निर्धारित तिथि पर, अनुपालन न करने के उल्लघंन के लिये उत्तरदायी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को आयोग, उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से, अनुपालन न करने या उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट करेगा।

(4) जहाँ, नोटिस के उत्तर में, अनुपालन न करने या उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उपस्थित होता है तथा एक लिखित ज्ञापन द्वारा अभिकथन की सत्यता को स्वीकार करता है, आयोग उत्तर को अभिलेखित करेगा तथा वह केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से अर्थदण्ड या प्रभार अधिरोपित कर सकता है।

(5) जहाँ अनुपालन न करने व उल्लंघन का उत्तरदायी व्यक्ति, उपस्थिति पर कथित अनुपालन करने व उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है तथा सुनवाई की मांग करता है, आयोग, केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद की सुनवायी के लिये कार्यवाही करेगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसको नोटिस जारी किया गया है, बिना किसी समुचित कारण के आयोग के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि या अन्य कोई तिथि जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

(7) आयोग शिकायतकर्ता की सुनवाई की कार्यवाही करेगा तथा ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो कि मौखिक या दस्तावेजी, या शपथपत्र द्वारा हों जो कि अपवाद के समर्थन में प्रस्तुत किये जा सकें तथा वह सभी साक्ष्य लेगा जो कि उस व्यक्ति द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किये जायें जो अनुपालन न करने व उल्लंघन का उत्तरदायी है। जहाँ आयोग द्वारा सूचना मिलने पर कार्यवाही आरम्भ की गयी है, आयोग अपने किसी अधिकारी को इस विषय में शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने तथा वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये निदेशित कर सकता है।

(8) आयोग के पास कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि वाद की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित लगता हो, साक्ष्य देने या ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने जो कि आयोग की राय में, कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत या तात्विक हो, को बुलाने व उपस्थिति के लिये बाध्य करने की शक्ति होगी।

51. समाहरण की प्रक्रिया तथा अर्थदण्ड व प्रभार की वसूली

(1) यदि किसी कार्यवाही के निष्कर्ष पर आयोग सन्तुष्ट है कि कोई व्यक्ति अर्थदण्ड या प्रभार के लिये दायी है तो आयोग लिखित आदेश द्वारा, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम तथा इस उद्देश्य हेतु निदेशित विनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अर्थदण्ड व प्रभार अधिरोपित कर सकता है तथा प्रतिकर का अधिनिर्णय दे सकता है।

(2) अर्थदण्ड तथा प्रभार की मात्रा अवधारित करते समय आयोग, अन्य के अतिरिक्त, निम्न तथ्यों पर विचार करेगा।

(a) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन की प्रकृति व विस्तार।

(b) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन के परिणामस्वरूप सदोश व अनुचित लाभ।

(c) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हुए संताप की मात्रा या हानि।

(d) अनुपालन न करने तथा उल्लंघन की पुनरावृत प्रवृति।

(3) इस विनियम के अधीन आदेश देते समय, आयोग, अनुपालन न करने व उल्लंघन करते पाये जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रभावित पक्ष या शिकायतकर्ता को प्रतिकर भुगतान का अधिनिर्णय दे सकता है।

(4) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड, प्रभार या प्रतिकर के भुगतान जिस अवधि के अन्दर करना है उसे आयोग निदेशित कर सकता है।

52. परिवाद का वापस लेना और निपटाना

(1) यदि कोई परिवादी, किसी कार्यवाही में अन्तिम आदेश पारित होने से पहले किसी समय आयोग को सन्तुष्ट कर देता है कि परिवाद में बताये गये उत्तरवादी यदि एक से अधिक उत्तरवादी हैं तथा उन सभी या किसी एक के विरुद्ध परिवाद वापस लेने की अनुमति हेतु पर्याप्त आधार है तो आयोग परिवादी को उसे वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

(2) यदि आयोग की यह राय हो कि परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति देना समुचित नहीं है तो आयोग यह आदेश दे सकता है कि आयोग जिस रीति से तथा परिवादी के स्थान पर जिस व्यक्ति द्वारा उचित समझे, परिवाद को जारी रखे।

(3) जहां आयोग की यह राय हो कि इस विनियम के अधीन कार्यवाही को जारी रखना अनावश्यक है अथवा प्रक्रिया का दुरूपयोग है तो वह किसी भी चरण में, कारणों का लिखित अभिलेखन करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।

अध्याय X – विविध

53. पुनर्विचार याचिका के अलावा याचिकाओं के निपटान हेतु समय सीमा

(1) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु शुल्क याचिकाओं और आवेदनों के सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम, 2003 में, या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच आयोजित करने के लिए प्रक्रिया में या पुनर्विचार याचिकाओं के सम्बन्ध इन विनियमों के विनियम 54 में उपबंधित के सिवाय, आयोग, स्वीकृति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा करेगा।

परन्तु जहां याचिकाओं का निपटारा छः माह के भीतर नहीं होता है वहां आयोग याचिकाओं के निपटारे में समय लगने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

54. निर्णयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विचार

(1) आयोग स्वयं अथवा संबंधित किन्ही शक्तियों या पक्षों के आवेदन पर, किसी निर्णय, निर्देश या आदेश के दिये जाने से 60 दिन के भीतर ऐसे निर्णयों, निर्देशों या आदेशों का पुनर्विचार कर सकता है और ऐसे उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे।

(2) ऐसे पुनर्विचार के लिए आवेदन उसी तरीके से फाईल किया जायेगा जैसे कि इन विनियमों के अध्याय II के अधीन एक याचिका।

(3) पुनर्विचार हेतु आवेदन, इसकी फाईलिंग की तिथि से 15 दिन के भीतर आयोग के समक्ष सूचीबद्ध की जायेगी।

(4) यदि पुनर्विचार आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता है तो पुनर्विचार आवेदन सुनवाई की तिथि से 30 दिन के भीतर और यदि आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति की तिथि से नब्बे दिन के भीतर निपटाया जायेगा।

(5) परन्तु जहां नियत अवधि के भीतर पुनर्विचार आवेदन निपटाया नहीं जा सकता वहां आयोग पुनर्विचार आवेदनों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय हेतु कारणों को अभिलिखित करेगा।

55. मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही जारी रखना

(1) जहां किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए अथवा वह दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णीत हो जाए या कम्पनी के मामले में वह कम्पनी बन्द/समाप्त हो जाए, तो

कार्यवाहियां उत्तराधिकारी के साथ से ही जारी रहेंगी जैसे सम्बन्धित पक्षकार का कार्यपालक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि के समय जारी रहती है।

(2) आयोग, कारणों को अभिलिखित कर, कार्यवाही को समाप्त मान सकता है, यदि आयोग ऐसा निदेश देता है तो हितबद्ध उत्तराधिकारियों आदि को वाद के अभिलेख पर लाने की आवश्यकता से अभिमुक्त कर सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति हितबद्ध उत्तराधिकारियों आदि को रिकार्ड में लाना चाहता है तो इस प्रयोजनार्थ याचिका उस घटना से 90 दिन के भीतर फाईल की जायेगी जिसके सम्बन्ध में हितबद्ध उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड में लाने की जरूरत है।

56. याचिका का प्रकाशन

(1) जहां कोई आवेदन, याचिका अथवा अन्य सामग्री केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो तो जब तक आयोग अन्यथा रूप से आदेश न दे या केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या विनियमों में अन्यथा रूप में व्यवस्था न की गई हो, उसे सुनवाई की निर्धारित तारीख से पांच दिन से पूर्व, प्रकाशित किया जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रकाशनों का शीर्षक ऐसा होगा जिनमें सामग्री का विषय संक्षेप में वर्णित होगा।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ आयोग के पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाएगे।

57. गोपनीयता

(1) आयोग के अभिलेख, उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, फीस के संदाय और ऐसी शर्तों के जिन्हें आयोग निदेशित करके अनुपालन के अधीन रहते हुए सभी के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) आयोग, उन निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें आयोग उचित समझें, उसके पास उपलब्ध दस्तावेज और कागज़ातों की प्रमाणित प्रतियों को किसी व्यक्ति को प्रदाय करने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) आयोग, आदेशानुसार यह निदेश दे सकता है कि कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागज़ात तथा सामग्रियां आयोग अथवा उसके किन्हीं अधिकारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं या अन्यथा रूप से उनके कब्जे में या अभिरक्षा में आ जाये, वह गोपनीय या विशेषधिकार प्राप्त होगा और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध नहीं होगा और आयोग यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात अथवा सामग्री का प्रयोग सिवाय आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अवस्था के किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा।

58. आदेशों तथा निदेशों को कार्यान्वित करना

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम तथा इस विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समय–समय पर विनियमों के कार्यान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधिक मामलों के सम्बन्ध में, जिसके लिए इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निदेशित करने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश और कार्य निदेश जारी कर सकता है। अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है और निदेशों को कार्यान्वित कर सकता है।

59. आयोग की अंतर्निहित शक्ति

(1) इन विनियमों से ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो आयोग की ऐसी अंतर्निहित शक्ति को न्यायिक दृष्टि से आवश्यक आदेश देने या आयोग की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए सीमित करता हो या अन्यथा प्रभाव डालता हो।

(2) इन विनियमों में अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया को, अपनाने से आयोग पर कोई वर्जन नहीं होगा, जो इन विनियमों के किसी उपबंध से मतभेद रखते हों, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

(3) इन विनियमों में, स्पष्ट रूप से या विविक्षित रूप से आयोग पर केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन ऐसे किसी मामले पर कार्यवाही करने या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई वर्जन नहीं होगा, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है, आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के संदर्भ में वह कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

60. संशोधित करने की साधारण शक्ति

आयोग, किसी भी समय और लागत के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जैसा भी वह उचित समझे, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी गलती या त्रुटि के सम्बन्ध में संशोधन कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन कार्यवाहियों में उत्पन्न विवाधक वास्तविक प्रश्न के अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बनाएगा।

61. कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकता है जो इस अधिनियम उपबन्धों के अनुरूप असंगत नहीं है जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होना है।

62. विनियमों की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने की शक्ति

आयोग को, प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर तथा कारणों को लिखित में अभिलेखन कर ऐसे नियम व शर्तें, जो कि निदेशित की जायें, के अधीन, विशिष्ट मामले या मामलों में विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने की शक्ति होगी।

63. निर्धारित समय का विस्तारण/संक्षेपण

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी कार्य को करने के लिये इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को बढ़ाया जा सकता है (भले ही वह पहले समाप्त हो गया हो या नहीं) या इस समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से कम किया जा सकता है।

64. अनुपालन न करने का प्रभाव

इन विनियमों की किसी अपेक्षा के अनुपालन में असफलता, तब तक ऐसी असफलता के कारण किसी कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी, जब तक कि आयोग यह निष्कर्ष पर न पहुंचे कि ऐसी असफलता के कारण न्याय का अपवहन हुआ है।

65. लागतें

(1) ऐसी शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित किये जाएँ, सभी कार्यवाहियों और अनुषंगिक कार्यों की लागत आयोग के विवेकानुसार प्रदान की जाएगी और आयोग को यह अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि वह किस या किस निधि से व किस मात्रा तक लागतों का संदाय करता है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने का पूरा अधिकार है।

(2) लागतों का संदाय, आदेश करने की तिथि से तीस दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जिसे आयोग आदेश के द्वारा निदेशित करें। आयोग का, लागतों के अधिनिर्णयन के आदेश का पालन सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

66. आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन

सचिव, यह सुनिश्चित करेगा कि उपबंधों के आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन, इस उपबन्धों तथा विनियमों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किया जाए और यदि आवश्यक हो तो निर्देशों के लिए आयोग का आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

67. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004, तथा उसके समय–समय पर संशोधित प्रावधान, इस विनियम के प्रभावी होने पर निरसित हो जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही या तात्पर्य किया गया या की गयी या निरस्त विनियमों के अन्तर्गत निदेशित या निष्पादित कोई लिखित या दिये या जारी किये गये आदेश सहित, विधिमान्य होगे तथा इस विनियमों के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन किये गये या लिये गये समझे जायेंगे।

प्रपत्र — I
(विनियम 10 देखें)
कार्यवाहियों के लिए साधारण शीर्षक

समक्ष — उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
देहरादून

पत्रावली संख्या.
वाद संख्या.
(आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

निम्नलिखित के मामले में :—

(आवेदन पत्र या याचिका के प्रयोजन का उद्देश्य)

तथा
निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिकाकर्ता(ओं) / आवेदक(कों) के नाम व पूरे पते)

....................याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रत्यार्थी(यों) के नाम व पूरे पते, जिन्हें नोटिस भेजना प्रस्तावित हैं, प्रत्येक प्रत्यार्थी का विवरण अंकित किया जाना है)

......................प्रत्यार्थी(यों)

1. **विशिष्ट वैधानिक प्रावधान, जिनके अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है**

   (याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जायेगा कि किन वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है। वह यह घोषणा करेगा कि तथ्य, विषय वस्तु, दिशा, निर्णय अथवा आदेश जिसके विरूद्व वह आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रतितोष चाहता है।

2. **परिसीमा**

   (याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा यह भी घोषित किया जाना है कि वर्तमान याचिका निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत दायर की गयी है।)

3. **मामले के तथ्य**

   यह कि मामले के तथ्य निम्नानुसार है।

   (यहाँ पर मामले के तथ्यों का संक्षिप्त क्रमानुगत विवरण, प्रत्येक पैरा में जहाँ तक सम्भव हो पृथक प्रकरण, तथ्य आदि दिये जाए।)

4. **कार्यवाही का कारण**

5. **अनुतोष का आधार**

6. **निःशेषित उपायों का विवरण**

याचिकाकर्ता(ओं) यह उद्घोषित करेगा कि उसके द्वारा इस प्रयोज्य बनाये गये लागू कानून एवँ नियमों/विनियमों में प्रदत्त समस्त उपायों का उपयोग किया गया हैं।

7. **प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित याचिका पूर्व में दायर किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है**

(याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा यह भी उदघोषित किया जायेगा कि उसके द्वारा इससे पूर्व विषयगत प्रकरण पर कोई आवेदन/याचिका या मुकदमा आयोग या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में लम्बित है। यदि याचिकाकर्ता के द्वारा इस प्रकारण से सम्बन्धित याचिका इससे पूर्व किसी प्राधिकारी, न्यायालय या आयोग के समक्ष दायर किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण, यदि मामला निर्णित हो चुका है तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण मय संलग्नक सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।)

8. **चाहा गया अनुतोष**

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा निम्न प्रार्थना :—

(यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा चाहे गये अनुतोष और ऐसे अनुतोष(षों) के आधार एवँ विधिक आधार यदि कोई हो आदि का पूर्ण विवरण देना होगा।)

9. **अंतरिम आदेश यदि कोई हो की प्रार्थना**

याचिका/आवेदन पर अंतिम आदेश लम्बित होने पर याचिकाकर्ता(ओं) यदि कोई अंतरिम आदेश चाहता है तो इसका विवरण निम्नवत् दें।

(यहाँ पर अंतरिम आदेश, जिसके लिए निवेदन किया गया है, की प्रकृति कारणों सहित का उल्लेख करें)

10. **सूचियों का विवरण**

(दिये गये प्रपत्रों एवं पत्रों की स्पष्ट सूची प्रपत्रों का क्रमांक दर्शाते हुए दी जाए)

11. **प्रदत्त फीस का विवरण**

12. **संलग्नकों की सूची**

1.
2.
3.
4.

(याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं.................................., (यदि याचिकाकर्ता एक कम्पनी है तो प्रबन्ध निदेशक/निदेशक और कोई अन्य अधिकारी जो कम्पनी के मुख्य अभियन्ता/महा प्रबन्धक की श्रेणी से नीचे का न हो, का नाम) पुत्र,/पत्नी/,पुत्री श्री .... (यथा स्थिति कोई एक इंगित करें) आयु ... . वर्ष .... के रूप में कार्यरत, निवासी .... एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि पैरा 1 से .... तक की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और पैरा .... से पैरा .... तक शासकीय अभिलेखों से ली गई है, तथा पैरा .... से पैरा .... तक विधिक सलाह पर विश्वास है कि सत्य है और यह कि मैंने कोई भौतिक तथ्य नहीं छिपाएँ है।

(याचिकाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर)

नोट:

(i) शुल्क याचिका, निवेश अनुमोदन हेतु याचिका और पूर्वोक्त मामले में पुनर्विलोकन याचिका की फाईलिंग के मामले में विशिष्ट याचिका हेतु कम्पनी के निदेशक बोर्ड के संकल्प के साथ याचिका पर केवल प्रबन्ध निदेशक या किसी कार्यशील निदेशक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायेंगे और सत्यापन किया जायेगा।

(ii) याचिका के साथ नोटरीज अधिनियम, 1952 के अधीन उपबंधित, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित, याचिकाकर्ता के शपथ पत्र (प्रपत्र II के अनुसार) संलग्न होना चाहिये।

प्रपत्र – II

(विनियम 10 देखें)

समक्ष– उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

देहरादून

पत्रावली संख्या.

वाद संख्या.

(आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

निम्नलिखित के मामले में :–

(आवेदन पत्र या याचिका के प्रयोजन का उद्देश्य)

तथा

निम्नलिखित के मामले में :–

(याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के नाम व पूरा पता तथा प्रत्यार्थी के नाम और पूरा पता)

याचिका/उत्तर/आवेदन का सत्यापन करने वाला शपथ–पत्र

मैं, (नाम).. पुत्र/पुत्री/पत्नी/............................... उम्र .... व्यवसाय......................... निवासी .... सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ और शपथ लेकर निम्न कथन कहता हूँ :

1. कि अभिसाक्षी .... लि0 का प्रबन्ध निदेशक/निदेशक है जो कि कम्पनी के प्रस्ताव दिनांक..................... से प्राधिकृत है (यदि मामले में याची कम्पनी है) एवँ मामले के तथ्यों से भली–भाँति परिचित है, निम्न अधिसाक्ष्य देता है:
2. मै, ऊपरनामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैराग्राफ 1 एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या................. मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं, याचिका के पैराग्राफ संख्या .... अभिलेखों के परशीलन पर आधारित है एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या............ प्राप्त सूचना के आधार पर एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या ....विधिक सलाह जिन पर, मुझे विश्वास है कि वह सत्य है एवँ सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का कोई अंश असत्य नही है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है ।

(अभिसाक्षी)

मैं.....................................अधिवक्ता एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त व्यक्ति, जिसके द्वारा उपरोक्त शपथ पत्र दिया गया है, से मैं प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर परिचित हूँ तथा मैं सन्तुष्ट हूँ कि जो व्यक्ति, अपने आपको शपथपत्रदाता बता रहा है, वही व्यक्ति है।

अधिवक्ता

आज दिनांक .... दिन .... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में मेरे समक्ष शपथकर्ता को शपथपूर्वक, उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया है।

शपथकर्ता का परीक्षण करने के उपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ कि उसको पढ़कर सुनाये गये शपथपत्र के तथ्यों को वह भली–भाँति समझता है उसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के विषय में स्पष्ट कर दिया गया है कि आयोग की कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में जानबूझ कर किसी भी झूठे साक्ष्य के लिए अथवा उददेश्यपूर्ति के लिये साक्ष्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करने पर विधि के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

(नोटरी पब्लिक)

नोटः

शुल्क याचिका, निवेश अनुमोदन हेतु याचिका और पूर्वोक्त मामले में पुनर्विलोकन याचिका की फाईलिंग बोर्ड के संकल्प के साथ आवश्यकता पर केवल प्रबन्ध निदेशक या किसी कार्यशील निदेशक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायेंगे और सत्यापन किया जायेगा।

प्रपत्र – III

.... (आवेदन हेतु अनुज्ञप्ति का प्रकार) हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :

2. पता :

(a) रजिस्टर्ड कार्यालय पता :

(b) पत्र व्यवहार हेतु पता :

(c) वेबसाईट पता :

3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

4. सम्पर्क टेलीफोन नं0 :

5. फैक्स नं0 :

6. ई–मेल आईडी :

7. आवेदक की प्रास्थिति :

(चाहे एक भारतीय नागरिक है या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित एक कम्पनी या व्यक्तियों का एक संगठन या निकाय जो भारत के नागरिक हों, चाहे निगमित हो या नहीं या भारतीय विधियों के अधीन मान्यता प्राप्त एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। यदि सूचीबद्ध कम्पनी है तो उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिस पर सूचीबद्ध है और मूल्य दिया जाये)

8. निगमन/रजिस्ट्रेशन का स्थान

9. निगमन/रजिस्ट्रेशन का वर्ष

10. संगम ज्ञापन का खण्ड जो पारेषण वितरण/विद्युत में राज्यान्तर्गत व्यापार प्राधिकृत करता है (सुसंगत भाग को उद्धृत करें)

11. (a) प्राधिकृत शेयर पूंजी

(b) जारी की गई शेयर पूंजी

(c) अभिदत्त शेयर पूंजी

(d) समादत्त शेयर पूंजी

नोट : निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न की जायेंगी :

(a) निगमन/रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र;

(b) कारोबार के प्रारम्भ होने का प्रमाण–पत्र, जहां लागू हो;

(c) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद;

(d) आवेदक को सुपुर्द करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में मूल मुख्तारनामा

12. आवेदन की गई अनुज्ञप्ति की श्रेणी (व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के मामले में)

13. व्यापार किये जाने हेतु आशंकित ऊर्जा की मात्रा (व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु)

14. **अनुज्ञप्ति का क्षेत्र**

उस भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख करें जिस के भीतर आवेदक का पारेषण/वितरण/वितरण में राज्यान्तर्गत व्यापार करना प्रस्तावित है।

पारेषण/वितरण चाहने वाले आवेदकों को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति क्षेत्र के मानचित्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जिन में विद्युत का पारेषण/आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक वर्तमान प्रणाली और नवीन सुविधाओं के मध्य स्पष्ट अन्तर दर्शाया जायेगा, मानचित्र में सब–स्टेशन, वितरण मेन्स, पारेषण/वितरण नेटवर्क, सड़क और मार्ग जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है तथा सार्वजनिक व निजी उपभोक्ताओं के मध्य अन्तर दर्शाया जायेगा। सड़क और मार्ग जिन पर विद्युत की आपूर्ति की जानी है, उन्हें इस प्रकार चिन्हित या रंगीन किया जायेगा कि किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासनीय नियंत्रण के अधीन आने वाले ऐसे क्षेत्र और सड़कों या मार्गों का कोई भाग स्पष्ट हो सके।

15. विद्युत के प्रस्तावित पारेषण या वितरण के क्षेत्र के किसी भाग की प्रशासन को सौंपे गये किन्हीं स्थानीय प्राधिकरण की सूची;

16. किसी ऐसी भूमि जिसे आवेदक का पारेषण अथवा वितरण कारोबार के उद्देश्य से प्राप्त करने का प्रस्ताव है, का वर्णन करते हुए एक अनुमानित विवरण तथा ऐसी प्राप्ति के साधन;

17. पारेषण अथवा वितरण कारोबार के सम्बन्ध में व्यय किये जाने के लिए प्रस्तावित पूंजी का अनुमानित विवरण और आयोग द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्य विवरण;

18. यदि लागू हो तो स्थानीय प्राधिकरणों से सहमति/अनापत्ति की प्रति;

19. यदि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15 (2) (ii) के अनुसार लागू हो तो केन्द्र सरकार से सहमति/अनापत्ति की प्रति;

20. यदि व्यक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित हैं तो वार्षिक रिपोर्ट्स की प्रतियां, और निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, आवेदन किये जाने वर्ष से ठीक पहले एक वर्ष हेतु अनुसूचियां और नोट्स ऑन अकाउण्ट्स तथा आवेदन किये जाने की तिथि से ठीक पहले 30 दिन के भीतर पड़ने वाली किसी तिथि पर विशेष तुलन पत्र के साथ संपरीक्षित लेखे;

21. सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे प्रकरण शुल्क के भुगतान की रसीद;

22. (i) आवेदन की तिथि से पूर्व पिछले वर्ष के संपरीक्षित लेखों के अनुसार कुल लागत (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तैयारी की तिथि पर कुल लागत;

23. (i) आवेदन की तिथि से पूर्व पिछले वर्ष के सम्परीक्षित लेखों के अनुसार वर्तमान अनुपात

(यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तैयारी की तिथि पर चालू अनुपात;

24. (i) आवेदन की तिथि से पूर्व पिछले वर्ष के संपरीक्षित लेखों के अनुसार तरलता अनुपात (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तिथि पर तरलता अनुपात;

25. आवेदन करने की तिथि पर शेयर धारण का विवरण (सम्बन्धियों के साथ या सीधे आवेदक के शेयर्स के 5% और अधिक के प्रत्येक शेयर धारण का विवरण प्रदान करें)

(a) शेयरधारक का नाम :

(b) नागरिकता :

(c) आवासीय प्रास्थिति :

(d) धारित शेयर्स की संख्या :

(e) कम्पनी की कुल समादत्त पूंजी का प्रतिशत धारण :

26. (i) आवेदन की तिथि से पूर्व पिछले एक वर्ष हेतु संपरीक्षित लेखों के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (यदि लागू हो)

(ii) आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तैयारी की तिथि पर टर्नओवर;

27. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबन्धनात्मक क्षमता : व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक को, उसकी संगठनात्मक संरचना और विभिन्न कार्यपालकों का आत्मवृत, प्रस्तावित कार्यालय तथा संसूचना सुविधाओं इत्यादि के रूप में इन विनियमों के निबंधनों में, उसकी संगठनात्मक और प्रबन्धनात्मक क्षमता का सबूत देना होगा।

28. दृष्टिकोण और कार्यविधि :— आवेदक को, उसके द्वारा प्रस्तावित अनुज्ञप्त व्यवस्थाओं की स्थापना हेतु दृष्टिकोण और कार्यविधि का विवरण प्रदान करना होगा।

29. अन्य जानकारी :—

(a) क्या आवेदक या उसके किसी सहयोगी का भागीदार, या प्रमोटर या निदेशक को दिवालिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण, क्या उन्हें उन्मुक्त कर दिया गया है या नहीं;

(b) आवेदन करने के वर्ष में और आवेदन करने के ठीक पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदक, उसके किन्हीं सहयोगियों, या भागीदारों या प्रमोटर्स या निदेशकों के नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराधों हेतु दोषसिद्धि में परिणित होने वाले मामलों का विवरण और ऐसी दोषसिद्धि के फलस्वरूप उक्त व्यक्ति के कारावास, यदि हो, से छूटने की तिथि;

(c) क्या आवेदक या उसके सहयोगी, या भागीदारों, या प्रमोटर्स या निदेशकों में से किसी को कभी अनुज्ञप्ति हेतु इन्कार किया गया। यदि हां, तो आवेदन करने की तिथि, इन्कार की तिथि और इन्कार के कारण का विवरण दें;

(d) क्या आवेदक के पास कोई अनुज्ञप्ति है, यदि हां, तो उसका विवरण दे;

(e) क्या आवेदक या उसके सहयोगियों, या भागीदारों, या प्रमोटर्स या निदेशकों में से किसी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का कभी कोई आदेश आयोग द्वारा पारित किया गया;

(f) क्या आवेदक, उसके सहयोगियों, या भागीदारों, या प्रमोटर्स, या निदेशकों में से कोई अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन निर्मित नियमों या विनियमों या किन्ही कार्यवाहियों में आयोग द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, यदि हां तो उसका विवरण दें।

30. संलग्न दस्तावेज़ों की सूची :

दस्तावेज़ का नाम :

(a) ....

(b) ....

(c) ....

(d) ....

स्थान : (आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

दिनांक :

प्रपत्र IV

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

रजिस्टर्ड कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय पता (बड़े अक्षरों में)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस (बड़े अक्षरों में)

1 ऊपर नामित व्यक्ति, कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 या कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित एक कम्पनी, भागीदारी फर्म या एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म/एक व्यक्ति/व्यक्तियों का एक संगठन या निकाय/एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (जो लागू न हो उसे काट दें) (आवेदक) ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के समक्ष .... (उस क्षेत्र को इंगित करें जिसके भीतर आवेदक का पारेषण/वितरण/विद्युत में व्यापार हाथ में लेने का प्रस्ताव है) में विद्युत में .... अनुज्ञप्ति (आवेदन की गई अनुज्ञप्ति का प्रकार इंगित करें और यदि आवेदन व्यापार के लिए है तो अनुज्ञप्ति की श्रेणी का भी उल्लेख करें) के प्रदान किये जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा के अधीन आवेदन किया है। आवेदक के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण यहां नीचे दिये गये अनुसार है:–

(i) प्राधिकृत पूरोघृत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी

(ii) शेयरधारी पद्वति (5: या अधिक शेयर्स धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण दें)

शेयरधारक का नाम	नागरिकता	आवासीय प्रास्थिति	शेयरधारकों की संख्या	कुल समादत्त पूंजी के शेयर प्रतिशत

(iii) वित्तीय और तकनीकी क्षमता

(iv) आवेदक की प्रबंधन प्रोफाईल जिसमें उत्पादन, पारेषण, विद्युत के व्यापार या सदृश्य कार्यकलापों के प्रबन्धन का आवेदक और/या व्यक्तियों का पूर्व अनुभव सम्मिलित है।

(v) (a) एक कथन की क्या संगम ज्ञापन या अन्य दस्तावेज के अधीन विद्युत का पारेषण/वितरण और व्यापार हाथ में लेने के लिए आवेदक प्राधिकृत है।

(b) यदि हां, तो विद्युत के पारेषण/वितरण/व्यापार को प्राधिकृत करने वाले संगम ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज़ के विशिष्ट उपबन्ध प्रस्तुत करें।

(vi) यदि कोई ऐसे मामले जहां आवेदक या उसके सहयोगियों, या भागीदारों, का प्रमोटर्स, या निदेशकों में से किसी को दिवालिया घोषित किया गया हो और उसे उन्मुक्त न किया गया हो, तो उसका विवरण।

(vii) यदि कोई ऐसे मामले हैं जहां आवेदक या उसके सहयोगियों, या भागीदारों या प्रमोटर्स या निदेशकों में से किसी को आवेदन करने के पिछले तीन वर्षों में और आवेदन करने के वर्ष में नैतिक अधमता, कपट या आर्थिक अपराध से सम्बन्धित किसी अपराध में दोषसिद्ध किया गया है, तो उसका विवरण तथा ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् यदि कारावास हुआ है तो उस व्यक्ति के छूटने की तिथि :

व्यक्ति का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	अपराध की प्रवृति	दोषसिद्धि की तिथि

(viii) क्या आवेदक या उसके किन्हीं सहयोगियों, या भागीदारों या प्रमोटर्स, या निदेशकों में से किसी को कभी अनुज्ञप्ति हेतु इन्कार किया गया है, यदि हां तो आवेदन, आवेदन की तिथि, अनुज्ञप्ति हेतु इन्कार के आदेश की तिथि का विवरण और इन्कार के कारण।

(ix) क्या आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किन्हीं सहयोगियों या भागीदारों, या प्रमोटर्स, या निदेशकों में से किसी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

(x) क्या आवेदक या उसके सहयोगियों, या भागीदारों, या प्रमोटर्स, या निदेशकों में से कोई, आवेदन करने के वर्ष के दौरान या उसके ठीक पिछले तीन वर्षों में अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन आयोग द्वारा निर्मित नियमों और विनियमों के उल्लंघन या अनानुपालन की कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है?

व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के मामले में निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे :

(xi) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष की अवधि में व्यापार किये जाने के लिए आशयित विद्युत की मात्रा और इस में विस्तार हेतु आवेदक की भविष्य की योजना;

(xii) आवेदन फाईल किये जाने के वर्ष से ठीक पहले वर्ष की 31 मार्च पर या लागू कम अवधि हेतु और आवेदन के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तिथि पर निवल सम्पत्ति;

(xiii) आवेदन फाईल किये जाने वर्ष से पिछले वर्ष के लिए या लागू कम अवधि के लिए और आवेदक के साथ संलग्न विशेष तुलन पत्र की तिथि पर आवेदन का वर्षवार चालू अनुपात व तरलता अनुपात;

(xiv) क्या आवेदक को विद्युत के पारेषण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

आयोग के समक्ष फाईल किये गये आवेदन और अन्य दस्तावेज .... (यहां उस व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नम्बर दें जिस के पास आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है) के पास निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

2.	आयोग के समक्ष फाईल किये गये आवेदन और अन्य दस्तावेज़ .... (यहां उस व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नम्बर दें जिस के पास आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है) के पास निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।
3.	आयोग के समक्ष फाईल किये गये आवेदन और दस्तावेज़ .... (उस वेबसाईट का नाम दें जिस पर आवेदन पोस्ट किया गया है) पर पोस्ट कर दिये गये हैं।
4.	आयोग के समक्ष किये गये आवेदन पर कोई आपत्तियां या सुझाव यदि हो तो उन्हें सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, ... (उस स्थान का पता दें जहां आयोग स्थित है) को इस नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर भेजें जा सकेंगे तथा एक प्रति आवेदक को भेजी जायेगी।
5.	यदि आपत्तियां या सुझाव इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् भेजे जाते है, तो उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्थान : (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

दिनांक :

प्रपत्र V

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विद्युत .... हेतु अनुज्ञप्ति

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (इसमें आगे "आयोग" के रूप में सन्दर्भित) विद्युत अधिनियम, 2013 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए .... (इसमें आगे "अनुज्ञापी" के रूप में संदर्भित) जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय .... पर स्थित है, को अधिनियम, (विशेष रूप से धारा 17 से 22, दोनों सम्मिलित कर) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों जिसमें उनसे सांविधिक संशोधन, परिवर्तन, आशोधन, पुनराधिनियम सम्मिलित हैं, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग व अंश के रूप में पढ़े जायेंगे, में समावेशित निबंधनों और शर्तों के अधीन .... क्षेत्र में विद्युत में .... हाथ में लेने के लिए विद्युत में .... हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।

2. अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और विनियमों के अनुसार, के सिवाय यह अनुज्ञप्ति हस्तान्तरणीय नहीं हैं।

3. (a) आयोग के पूर्वानुमोदन बिना अनुज्ञापी :

   (i) किसी अन्य अनुज्ञापी की कंपनी की क्रय द्वारा प्राप्त करने या अन्यथा लेने के लिए लेनदेन नहीं करेगा; या

   (ii) किसी अन्य अनुज्ञापी की कंपनी के साथ अपनी कंपनी विलीन नहीं करेगा;

   (b) अनुज्ञापी किसी भी समय, आयोग के पूर्वानुमोदन के बिना विक्रय, पट्टे, विनियम या अन्यथा द्वारा अपनी अनुज्ञप्ति नहीं सौंपेगा या अपनी कंपनी अथवा उसके किसी भाग का हस्तांतरण नहीं करेगा।

   (c) उप–खण्ड (ए) और उप–खण्ड (बी) में संदर्भित किसी लेन–देन से सम्बन्धित कोई करार यदि आयोग के अनुमोदन के बिना किया जाता है तो वह शून्य करार होगा।

4. अनुज्ञापी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, विद्युत के पारेषण/वितरण/राज्यान्तर्गत व्यापार हेतु उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आयोग के अधिकार पर किसी प्रकार की अड़चन या प्रतिबन्ध नहीं होगा। अनुज्ञापी किसी प्रकार की अनन्यता का दावा नहीं करेगा।

5. यह अनुज्ञप्ति इसके जारी किये जाने की तिथि से प्रारम्भ होगी और जब तक कि इसे पहले निरस्त न किया जाये, इसका पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहना कायम रहेगा।

6. अनुज्ञापी, आयोग को पूर्व सूचना दे कर अपनी शक्तियों के अधिकतम उपयोग हेतु कारोबार में संलग्न रह सकेगा : परन्तु व्यापार/विवरण अनुज्ञापी विद्युत के पारेषण के कारोबार में संलग्न नहीं होंगे और पारेषण अनुज्ञापी व्यापार के कारोबार में संलग्न नहीं होगा।

7. जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये अनुज्ञापी विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप से वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करेगा।

8. अधिनियम की धारा 19 से 22, दोनों सम्मिलित कर, में समावेशित उपबन्ध, अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अनुज्ञापी पर और उसकी कंपनी के विक्रय पर लागू होंगे।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी गजट/192—भाग 1—क—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।